राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या: 06

बुधवार,

23 फरवरी 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 का उपस्थापन। श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि प्रोटेस्ट का एक दूसरा तरीका भी होता है। आपकी बात अपने चैम्बर में आप बैठकर करेंगे तो ठीक रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप बैठें और जिस प्रश्न पर हमने चर्चा की है, उस प्रश्न पर आप मेरे चैम्बर में आकर बैठें, फिर कोई चर्चा करने का तरीका निकालेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस आय-व्ययक की महत्ता को समझते हुए आप बैठें और माननीय मुख्य मंत्री जी का आय-व्यय का भाषण सुनें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, I will not allow any single sentence. I have to say, अंकित नहीं हो। Please listen, आप खुद सीनियर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। मेरा निवेदन है आप सब बात कहें आय-व्ययक के बाद में, मैं सुनूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 का उपस्थापन

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी

अनुमति से मैं, राज्य के वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. बजट, आम नागरिक के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने, सतत विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने एवं सभी वर्गों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है।

3. हमेशा की तरह हमने इस बार भी कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिला प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद्, चिकित्सा विशेषज्ञ, मजदूर संगठन, जन प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी सहित समस्त प्रदेशवासियों की भावनाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर भविष्य की कार्ययोजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है।

4. मैंने, वर्ष 2012-13 में राज्य का **पहला जेण्डर बजट** प्रस्तुत किया था। वर्ष 2021-22 में **पहला पेपरलैस बजट** भी मेरे द्वारा ही पेश किया गया। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि पहला **'कृषि बजट'** भी मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रगतिशील कदम से प्रदेश में न केवल कृषि विकास के नये आयाम स्थापित होंगे, वरन् साथ ही हमारा किसान भी और अधिक समृद्ध हो सकेगा।

5. सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ ही प्रदेश ने भी गत दो वर्षों से कोरोना से उत्पन्न विषम स्थिति का सामना किया है। हमारे पिछले बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे देश पर आ गया। जहां एक ओर हमने कोरोना का ऐसा प्रबन्धन किया जिसकी देश-विदेश में सराहना हुई, वहीं दूसरी ओर हमने विकास की गति को बनाये रखते हुए अपने वायदों को भी पूरा किया है। आज जब मैं, माननीय सदस्यों के समक्ष आने वाले वर्ष की वित्तीय कार्ययोजना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तब मुझे इस बात का संतोष है कि सीमित वित्तीय संसाधन होने, केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि में कमी होने एवं हमारी सरकार के इस कार्यकाल के तीन वर्षों में से दो वर्ष कोरोना की स्थिति से जूझने के बावजूद भी हमने जन घोषणा पत्र में किये गये 70 प्रतिशत से अधिक वायदों तथा 85 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण सम्भव हुआ है। इसी प्रतिबद्धता के साथ हम आने वाली कठिनाइयों का दृढ़ता से मुकाबला करते हुए प्रदेश की खुशहाली एवं चहुंमुखी विकास की राह प्रशस्त करेंगे-

(श्री अशोक गहलोत)

'ना पूछो मेरी मंजिल कहां है,...' वसुन्धरा जी, आपसे मैंने प्रेरणा लेकर बोलना सीखा है। मैं कभी बोलता नहीं था ऐसी बातें। इनसे प्रेरणा ली, जब ये बोला करती थीं तब मैंने सीखा है।

ना पूछो मेरी मंजिल कहां है,
अभी तो सफर का इरादा किया है।
ना हारूंगा हौसला उम्र भर,
यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है।।

6. कोरोना के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए UPA Govt. द्वारा प्रारम्भ की गयी 'महात्मा गांधी नरेगा योजना' ने सम्बल प्रदान किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में street vendors (ठेले, रेहड़ी, थड़ी व पटरी पर फल सब्जी व अन्य सामान बेचने वाले), ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले लोगों के लिए इस प्रकार की योजना नहीं है। मेरा मानना है कि कोरोना के व्यापक प्रसार के कारण प्रभावित हुई प्रदेश की जनता को अपनी जिन्दगी पुनः पटरी पर लाने के लिए हमें और अधिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। इस क्रम में-

I. अब मैं, शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के **'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना'** लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे।

II. कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष में, महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

III. कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए तीन माह की अवधि के Bridge Courses चलाये जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

IV. कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं, अल्प आय वर्ग के साथ-साथ समस्त 118 लाख घरेलू

(श्री अशोक गहलोत)

उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली **नि:शुल्क** उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। इसके साथ-साथ समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान देने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी Slab के अनुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इससे लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपये का भार आयेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं:

7. अध्यक्ष महोदय, **निरोगी राजस्थान** के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमारे द्वारा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना के साथ-साथ **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना** लागू करने से राजस्थान **'Universal Health'** उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। इस योजना से लगभग एक करोड़ 33 लाख परिवार जुड़ सके हैं तथा हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि सिर्फ 9 माह में ही अभी तक 7 लाख 41 हजार से ज्यादा लोगों ने लगभग 930 करोड़ रुपये के cashless इलाज की सुविधा प्राप्त कर ली है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं, आगामी वर्ष से इसी चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूं। इस योजना का दायरा और व्यापक करते हुए आगामी वर्ष से Cochlear Implant, Bone-marrow Transplant, Organ Transplant, Blood/Platelets/Plasma Transfusions, Limb Prosthesis (Bone Cancer) का भी नि:शुल्क इलाज कराया जा सकेगा। साथ ही इस योजना के लाभ से कोई भी असहाय अथवा निराश्रित परिवार वंचित नहीं रह जाये, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। किसी ऐसे व्यक्ति के चिरंजीवी कार्ड न होने पर भी वे उसका नि:शुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकेंगे और साथ ही भविष्य के लिये उस परिवार का चिरंजीवी कार्ड बनाना भी सुनिश्चित करेंगे।

8. 02 अक्टूबर, 2011 को मेरे द्वारा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के माध्यम से देश में पहली बार आम आदमी को महंगे इलाज के बोझ से

(श्री अशोक गहलोत)
बचाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था। इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए वर्ष 2013 में हमने राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना प्रारम्भ की थी।

अब मैं राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध Outdoor (OPD) एवं Indoor (IPD) सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिये पूर्णत: नि:शुल्क (free-cashless) करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार अब भविष्य में सरकारी अस्पतालों यथा मेडिकल कालेज हास्पिटल, जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर में बिना किसी खर्च के पूरा इलाज कैशलैस होगा। इस हेतु अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां व जांचों की अतिरिक्त सुविधा भी सुनिश्चित की जायेगी।

9. सरकार NGOS के सहयोग से पूर्ण प्रयास कर रही है कि दुर्घटनाएं कैसे कम हों, साथ ही दुर्घटना हो जाने पर परिवार को सम्बल देना भी सरकार का दायित्व है। इस दृष्टि से मैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर नि:शुल्क उपलब्ध हो सकेगा।

10. प्रदेश में नये खुलने वाले 15 मेडिकल कालेजों हेतु एक हजार 224 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 3 हजार 674 बेड क्षमता के 15 नवीन चिकित्सालयों का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में ही हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करता हूं, जिससे क्षेत्र की जनता को समय से चिकित्सा सुविधा मिलना प्रारम्भ हो सके। ये चिकित्सालय हैं:-

क्र.सं.	चिकित्सालय	बेड क्षमता	अनुमानित लागत
1	अलवर	100 बेड	35 करोड़ रुपये
2	बांसवाड़ा	140 बेड	45 करोड़ 50 लाख रुपये
3	बारां	240 बेड	80 करोड़ 50 लाख रुपये
4	बूंदी	250 बेड	84 करोड़ रुपये
5	चित्तौड़गढ़	315 बेड	105 करोड़ रुपये
6	दौसा	210 बेड	70 करोड़ रुपये
7	हनुमानगढ़	315 बेड	105 करोड़ रुपये
8	जैसलमेर	345 बेड	115 करोड़ रुपये
9	झुंझुनूं	240 बेड	80 करोड़ 50 लाख रुपये

(श्री अशोक गहलोत)

क्र.सं.	चिकित्सालय	बेड क्षमता	अनुमानित लागत
10	करौली	300 बेड	105 करोड़ रुपये
11	नागौर	189 बेड	56 करोड़ रुपये
12	सवाईमाधोपुर	300 बेड	105 करोड़ रुपये
13	सिरोही	315 बेड	105 करोड़ रुपये
14	श्रीगंगानगर	240 बेड	77 करोड़ रुपये
15	टोंक	175 बेड	56 करोड़ रुपये

11. गत बजट में मैंने सभी जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। वर्तमान में 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं तथा 7 जिलों- बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली व सीकर में इनकी स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। आगामी वर्ष में शेष 18 जिलों- बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर व टोंक में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

12. SMS Medical College, Jaipur में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु 5 नये विभाग स्थापित करते हुए रोबोटिक सर्जरी एवं Modular Operation Theatres की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। साथ ही, जयपुर स्थित महिला चिकित्सालय-सांगानेरी गेट, जनाना अस्पताल तथा राज्य कैंसर संस्थान में विभिन्न विकास कार्य करवाये जायेंगे। इन पर 300 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

13. प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों (Medical Colleges) एवं अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण एवं सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये व्यय कर-

i. जिला अस्पताल परिसर- सीकर में 100 बेड क्षमता के चिकित्सा ब्लॉक का निर्माण, टीबी हास्पिटल-बीकानेर, महात्मा गांधी चिकित्सालय व कमला नेहरू हास्पिटल-जोधपुर में संवर्द्धन के कार्य करवाये जायेंगे।

ii. चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा एवं चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में पीजी छात्रावासों का निर्माण तथा जनाना अस्पताल, अजमेर में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण करवाया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

14. आगामी वर्ष जयपुर, अजमेर एवं कोटा में 250 करोड़ रुपये की लागत से नये Medical Institutes स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा। ये इंस्टीट्यूट्स हैं-

I. Institutes of Neuro Sciences and Opthalmology (SMS Medical college, Jaipur)

II. Institute of Nero Sciences (SN Medical College, Jodhpur)

III. Institute of Pediatrics, Neonatology and Maternity (JK Lone Hospital, Kota)

IV. Institute of Pediatrics and Neonatology (JLN Medical College, Ajmer)

15. मेडिकल कालेज, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर में सभी 7 सुपर स्पेशियलिटी यथा- एण्डोक्रायनोलॉजी, गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, गेस्ट्रोसर्जरी, मेडिकल आन्कोलॉजी, आन्कोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी व कार्डियोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही, MDM अस्पताल-जोधपुर में अत्याधुनिक कार्डिएक लैब की स्थापना की जायेगी।

16. भीलवाड़ा, बाड़मेर, सीकर, डूंगरपुर, पाली, झालावाड़ एवं चूरू मेडिकल कालेजों में आगामी वर्ष में न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एवं गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं शुरू की जायेंगी।

17. Rajasthan University of Health Sciences (RUHS) एवं इसके अधीन डेंटल कालेज, जयपुर का 100 करोड़ रुपये की लागत से पूर्णत: पुनरुत्थान (revival) किया जायेगा। साथ ही, जोधपुर में नवीन Dental College की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

18. राज्य में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। माननीय सदस्यों की मांगों को देखते हुए चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से-

i. जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

ii. एक हजार उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। नवगठित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इन्हें प्राथमिकता से खोलना जाना प्रस्तावित है।

iii. 50 उप स्वास्थ्य केन्द्रों (Sub Centers) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करते हुए कुल 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

iv. माचाडी (रैणी)-अलवर, रामसर (श्रीनगर)-अजमेर, मण्डली (कल्याणपुर), भाडखा-बाड़मेर, कोयला-बारां, कलसाड़ा (बयाना), बहनेरा (सेवर)-भरतपुर, अंटाली (बदनौर), ज्ञानगढ़ (करेड़ा)-भीलवाड़ा, गौडू (बज्जू)-बीकानेर, टामटिया (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, ददरेवा (राजगढ़)-चूरू, दौलतपुरा (लालसोट)-दौसा, धानोता (शाहपुरा), बनेठी (कोटपूतली), धानक्या (झोटवाड़ा), बडवा (बस्सी)-जयपुर, बर (रायपुर), बूसी (रानी)-पाली, झल्लारा-उदयपुर, रांधई (मंडरायल)-करौली, मिण्डा (नावां), धनकौली (डीडवाना), सुदरासन (मौलासर)-नागौर, सुकार (बामनवास), फलौदी (खण्डार)-सवाईमाधोपुर, अनादरा (रेवदर)-सिरोही, पाटोदा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर, अरायण (श्रीकरणपुर)-श्रीगंगानगर, बपावर (सांगोद)-कोटा, छणी (नयागांव)-उदयपुर व मेघाना (नोहर)-हनुमानगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छापर (सुजानगढ़)-चूरू व उदयमंदिर-जोधपुर को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में क्रमोन्नत किया जायेगा।

v. नवचौकिया डिस्पेंसरी-जोधपुर को सेटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

vi. धौरीमन्ना, चौहटन-बाड़मेर, नैनवा-बूंदी, बेगूं, रावतभाटा-चित्तौड़गढ़, सिकराय, बांदीकुई, महवा-दौसा, बानसूर-अलवर, सादुलशहर-श्रीगंगानगर, पूगल (खाजूवाला)-बीकानेर, अंता-बारां, नगर-भरतपुर एवं जायल-नागौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

vii. नाथद्वारा-राजसमंद, बहरोड-अलवर, डीडवाना-नागौर, रतनगढ़-चूरू, लालसोट-दौसा व नवलगढ़-झुंझुनूं के उप जिला अस्पतालों को जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

viii बाड़ी-धौलपुर, हिण्डौन सिटी-करौली, गंगरार-चित्तौड़गढ़ व देवली-टोंक में ब्लड बैंक की स्थापना की जायेगी।

ix. जोधपुर व उदयपुर में एक-एक अतिरिक्त CMHO office स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

19. वर्तमान में डायलेसिस की सुविधा 34 जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध करवायी जा रही है। दूरदराज के क्षेत्रों में इस सुविधा का विस्तार करते हुए उप जिला चिकित्सालयों तथा 352 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) पर भी यह सुविधा चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही, इन सभी केन्द्रों पर दंत चिकित्सा की सुविधा भी चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।

20. प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं को Early Cancer Detection की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले हेतु Mobile Cancer Diagnostic Van उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

21. आयुष सुविधा (आयुर्वेद, योग व नैचुरोपैथी, यूनानी एवं होम्योपैथी) से वंचित 19 ब्लॉक पर आयुष चिकित्सालय की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इन पर लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

22. तारानगर-चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय एवं भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कालेज खोला जायेगा। साथ ही, यूनानी महाविद्यालय, टोंक के भवन का लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार किया जायेगा।

शुद्ध के लिए युद्ध:

23. सरकार उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए कृतसंकल्प है। प्रदेशवासियों को मिलावट रहित व गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा समय-समय पर 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया जाता रहा है। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए बनाये गये Directorate of Food Safety के अधीन 200 नये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों का सृजन करते हुए भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, पूर्व में घोषित 7 Food Safety Labs का कार्य शीघ्र पूर्ण करते हुए, आगामी वर्ष 10 नई Mobile Food Safety Labs भी संचालित की जानी प्रस्तावित है।

सड़क सुरक्षा:

24. सड़कों के बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है, जो कि चिन्ता का विषय है। इन दुर्घटनाओं से होने वाली

जनहानि को रोकने की दृष्टि से वाहन चालकों की regular training के साथ-साथ नियम तोड़ने व नशे में वाहन चलाने पर कड़ी कार्यवाही आवश्यक है। सड़क सुरक्षा में और अधिक सुधार कर दुर्घटनाओं में कमी लाने की दृष्टि से -

I. Road Safety Act लाया जाकर 'Rajasthan Public Transport Authority' का गठन प्रस्तावित है। साथ ही, HCM RIPA, जयपुर में State Road Safety Institute खोला जायेगा।

II. शाहजहांपुर से अजमेर (NH-48 व NH-448), बर-बिलाड़ा-जोधपुर (NH-25) तथा सीकर से बीकानेर (NH-11 व NH-52) तक के भाग को Pilot Project के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जायेगा।

शिक्षा एवं खेल:

25. हमारे प्रयासों से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। यह संतोष का विषय है कि वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2021 में राज्य में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा है। इस कारण राजकीय स्कूलों को निरन्तर upgrade करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं, राज्य के समस्त 3 हजार 820 सैकण्डरी विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा करता हूं।

26. आज के वैश्विक परिदृश्य में हमारे प्रदेश के विद्यार्थी देश ही नहीं बल्कि International स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बन सकें, इसके लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा में निपुण होना आवश्यक होता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने 5 हजार से अधिक की आबादी वाले समस्त गांवों में एक हजार 200 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय स्वीकृत/प्रारम्भ किये जा रहे हैं। इन schools की लोकप्रियता एवं इनमें प्रवेश हेतु अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी English Medium स्कूल और शुरू किये जायेंगे।

27. अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी विषयों के अन्तर्गत English Medium शिक्षकों का पृथक से काडर (cadre-within-cadre) बनाने की घोषणा करता हूं। इन विद्यालयों में, प्रथम चरण में लगभग 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भर्ती किये जायेंगे।

28. प्रदेश के ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु-

I. प्राथमिक विद्यालय से वंचित ग्राम पंचायतों पर प्राथमिकता से प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

II. रेगिस्तानी जिलों- जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर में दूरदराज ढाणियां बसी हुई हैं। इन क्षेत्रों में जन प्रतिनिधियों से नए प्राथमिक स्कूल खोलने के काफी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए नियमों एवं मानकों में शिथिलन देते हुए प्रथम चरण में 200 प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

III. ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार यथा आवश्यकता क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. बालिकाओं को घर के समीप शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने एवं विद्यालयों में ड्राप आउट कम करने की दृष्टि से राज्य में संचालित माध्यमिक स्तर के 389, उच्च प्राथमिक स्तर के 1 हजार 846 व प्राथमिक स्तर के 115 बालिका विद्यालयों (Girls Schools) को वरीयता के क्रम में चरणबद्ध रूप से क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, आवश्यकतानुसार कक्षा-कक्षों के निर्माण सहित आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जायेगा।

29. राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु 3 हजार 800 से अधिक class rooms, laboratories, पुस्तकालय, आर्ट एवं क्राफ्ट, कम्प्यूटर रूम आदि का निर्माण, 20 नवीन भवन निर्माण एवं 100 विद्यालयों में वृहद् मरम्मत इत्यादि के कार्य करवाये जायेंगे। इन पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

30. मैं, जयपुर के जवाहरलाल नेहरू (JLN) मार्ग पर स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को समन्वित कर 'Education Hub' के रूप में विकसित करने की घोषणा करता हूं। इस हेतु आगामी 2 वर्षों में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें से -

I. Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Science (MGIGSS) पर 225 करोड़ रुपये,

II. राजा रामदेव पोद्दार Residential School of Excellence पर 100 करोड़ रुपये, तथा

III. राधाकृष्ण लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर पर 75 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

31. प्रदेश में बालिकाओं को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं, प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार है-

क्र.सं.	**जिला**	**कन्या महाविद्यालय**
1	अजमेर	ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद
2	अलवर	बड़ौद (बहरोड़), किशनगढ़ बास, राजगढ़
3	बांसवाड़ा	कुशलगढ़
4	बारां	अटरू
5	बाड़मेर	बायतू
6	बीकानेर	कोलायत
7	भीलवाड़ा	गुलाबपुरा
8	दौसा	मंडावरी (लालसोट), सैंथल, लवाण, महवा
9	भरतपुर	पीपला, उच्चैन (नदबई)
10	चूरू	सांडवा (बीदासर)
11	जयपुर	चाकसू, गोविंदगढ़ (चौमूं), बांसखोह (बस्सी), सांगानेर, विद्याधरनगर
12	झुंझुनूं	खेतड़ी, गुढ़ा (उदयपुरवाटी), मुकुन्दगढ़
13	जोधपुर	सेखाला (शेरगढ़), भोपालगढ़
14	कोटा	रामपुरा
15	नागौर	कुचामन सिटी
16	पाली	जोजावर (मारवाड़ जंक्शन)
17	राजसमंद	भीम
18	सवाई माधोपुर	वजीरपुर, गंगापुर सिटी
19	टोंक	दत्तवास (निवाई), अलीगढ़ (उनियारा)

साथ ही, राजकीय महिला महाविद्यालय, तारानगर-चूरू व सरवाड़-

(श्री अशोक गहलोत)

अजमेर को पीजी महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, 25 कन्या महाविद्यालयों में नये विषय/संकाय खोले जाना भी प्रस्तावित हैं।

32. देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में वर्ष 2013 में स्थापित मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर में 15 करोड़ रुपये की लागत से सामाजिक समरसता व सद्भाव पर शोध हेतु Centre of Excellence and Research की स्थापना की जायेगी।

33. मैं, खेतान पॉलीटेक्निक महाविद्यालय परिसर, जयपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से Engineering College स्थापित करने की घोषणा करता हूं। साथ ही, आगोलाई (शेरगढ़)-जोधपुर, अरांई (किशनगढ़)-अजमेर व उच्चैन (नदबई)-भरतपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) खोले जायेंगे।

34. हमारे द्वारा घोषित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत इस वर्ष 7 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने लाभ प्राप्त किया है। आगामी वर्ष इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही, कोचिंग के अलावा अच्छे माहौल में अध्ययन की सुविधा हेतु प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपये की लागत से सावित्री बाई फूले वाचनालय स्थापित किए जाने की घोषणा करता हूं। इन वाचनालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु Self Study करने वाले युवाओं को आवश्यक पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तकें, Computer, Internet इत्यादि की सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जायेंगी। सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी, जोधपुर का लगभग 42 करोड़ रुपये की लागत से पुन: निर्माण करते हुए आधुनिकीकरण किया जायेगा।

35. भरतपुर स्थित श्री हिन्दी साहित्य समिति का पुस्तकालय अपने आप में अनूठा है। वर्तमान परिस्थिति में इसका संरक्षण एवं संवर्द्धन आवश्यक हो गया है। मैंने वर्ष 2013-14 के बजट में 50 लाख रुपये का अनुदान इस संस्था के लिए स्वीकृत किया था। अब मैं, इस पुस्तकालय को सरकारी संरक्षण में लेते हुए, संवर्द्धन के साथ-साथ आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित करता हूं।

36. हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु गत तीन वर्षों में 123 महाविद्यालय खोले हैं। उच्च शिक्षा की सुविधा का विस्तार करने की दृष्टि से निजी क्षेत्र में भी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों

को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में कृषि, पशु चिकित्सा, नर्सिंग, मेडिकल एवं तकनीकी आदि क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थाओं (Private Colleges) के प्रार्थना पत्र लम्बित हैं, जिनके समुचित निस्तारण हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित कर Norms पूरा करने वाली संस्थाओं के प्रार्थना पत्रों का 2 माह में निस्तारण किया जायेगा तथा भविष्य में समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए online प्रक्रिया निर्धारित की जानी प्रस्तावित है।

37. पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरणों व अभ्यास हेतु जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपये की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही, ओलम्पिक पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आबंटित किये जाने वाले प्रावधान को, पैरालम्पिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए भी लागू करने की घोषणा करता हूं।

38. राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने हेतु-

I. भरतपुर में कुश्ती/कबड्डी जैसे पारम्परिक खेलों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्टेडियम का विकास किया जायेगा। साथ ही, नावां-नागौर एवं रावतभाटा-चित्तौड़गढ़ स्टेडियम के विकास कार्य करवाये जायेंगे। इन पर 12 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

II. टोंक में Multipurpose Indoor स्टेडियम बनाया जायेगा।

III. गिर्वा-उदयपुर, केरू (लूणी)-जोधपुर, हिण्डौन-करौली, धोद-सीकर, परबतसर-नागौर, परसरामपुरा (नवलगढ़)-झुंझुनूं, बानसूर-अलवर, रूपवास (बयाना), उच्चैन (नदबई)-भरतपुर, तारानगर-चूरू तथा बगरू-जयपुर में खेल स्टेडियम बनाये जायेंगे।

IV. जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जायेगा तथा खेल विभाग के अंतर्गत Rajasthan State Sports Institute की स्थापना की जायेगी। इन पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

V. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से Rajasthan High Performance Sports Training and Rehabilitation Centre बनाया जायेगा।

VI. सवाई मानसिंह स्टेडियम-जयपुर व महाराणा प्रताप खेलगांव-उदयपुर में सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक का निर्माण करवाया जायेगा, जिस पर 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

VII. राजगढ़ (सादुलपुर)-चूरू में कबड्डी अकादमी तथा श्रीगंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी के भवन का निर्माण किया जायेगा।

VIII. चौरासी-डूंगरपुर में खेल छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।

39. राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए 'On Duty' भेजा जाना प्रस्तावित है। साथ ही, किसी अन्य राज्य अथवा केन्द्र सरकार में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को पदक जीतने पर Pay Protect करते हुए समकक्ष पद पर राज्य में नियुक्ति दिया जाना प्रस्तावित करता हूं।

युवा एवं रोजगार:

40. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं प्रदेश की युवा शक्ति का आह्वान करते हुए उन्हें स्वामी विवेकानन्द की यह पंक्ति याद दिलाना चाहूंगा-

"युवा पीढ़ी सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकती है।"

हमने युवाओं को सम्बल प्रदान करने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने का सदैव प्रयास किया है, जिससे वे अपने जीवन में सफल हों तथा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकें। मैं यहां सम्मानित सदन का ध्यान संघर्षशील रहकर निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी के इस कथन की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा-

"**Opportunities are not offered; they must be wrested, and worked for. And this calls for perseverance...and courage.**"

अर्थात् "अवसर प्रदान नहीं होते हैं, उन्हें हासिल करना पड़ता है और उसके लिए काम करना चाहिए। और इसके लिए आवश्यकता है दृढ़ता... और साहस की।"

41. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवा दिल्ली में विभिन्न कोचिंग एवं कैरियर काउंसलिंग लेकर अपना भविष्य संवार सकें, इसके लिए मैं, उनके ठहरने की सुविधा हेतु दिल्ली स्थित 'उदयपुर हाउस' में 300 करोड़ रुपये की लागत से 500 युवक-युवतियों के लिए 250 कमरों का Nehru Youth Transit Hostel and Facilitation Centre बनाने की घोषणा करता हूं।

42. Service Sector, MSMEs एवं Start ups को सस्ती दरों पर Plug & Play Facility उपलब्ध कराने के लिए मैं, जयपुर, जोधपुर व कोटा में 200-200 करोड़ रुपये से 'Rajiv Gandhi Knowledge Service & Innovation Hubs' बनाने की घोषणा करता हूं। इन 'Hubs' में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिह्नित कर 'W-Hub' बनाया जाना भी प्रस्तावित है।

43. ऐसी महिलाएं जो 'Work from Home' कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए मैं "मुख्यमंत्री Work from Home-Job Work योजना" प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूं। आगामी वर्ष 20 हजार महिलाओं को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

44. प्रदेश में भारत स्काउट एवं गाइड से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट-पाली में किया जायेगा। इसमें देश-विदेश के लगभग 25 हजार स्काउट/गाइड भाग लेंगे। इस पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

45. आमजन, विशेषकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

46. हमारी सरकार भर्तियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से कराने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु REET सहित अन्य विभिन्न भर्तियों के लिए द्विस्तरीय (पात्रता एवं चयन) नियुक्ति प्रणाली अपनायी जानी प्रस्तावित है। हाल ही में गोपनीयता भंग होने के कारण REET परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब जुलाई, 2022 में REET की परीक्षा करवाया जाना प्रस्तावित करता हूं। नये सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा पूर्व में REET परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को दी गयी समस्त सुविधाएं भी पुन: उपलब्ध करायी जायेंगी। साथ ही, हमने युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगामी REET परीक्षा में पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार की है।

47. भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए SOG से Anti Cheating Cell का गठन किया जायेगा।

48. हमारे इस कार्यकाल में अभी तक एक लाख से अधिक युवाओं

को नियुक्ति दे दी गयी है तथा लगभग 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व सरकार के 5 वर्षों में लगभग 2 लाख भर्तियां की गयी थीं, जबकि इस संख्या तक हम मात्र 3 वर्ष में ही पहुंच गये हैं। अब मैं, आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग एक लाख अतिरिक्त पदों पर और भर्तियां किये जाने की घोषणा करता हूं।

औद्योगिक विकास:

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश Industry Friendly होने से देश-दुनिया के निवेशकों की अग्रणी पसन्द बना हुआ है। इसी क्रम में 'Invest Rajasthan-2022' कार्यक्रम में निवेशकों द्वारा दिखाये उत्साह से हमारे प्रयासों की सफलता का अन्दाज लगाया जा सकता है। हमने देश-विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को पुन: अपने प्रदेश की मिट्टी से जुड़ने के लिए 'Rajasthan Foundation' के माध्यम से भी प्रेरित किया है।

49. राज्य में औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area) से वंचित 147 उपखण्डों में से वर्ष 2021-22 में प्रथम चरण में 64 उपखण्डों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने की घोषणा की गई थी, इनको विकसित करने का कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ हो चुका है। आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी, जो इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	जिला	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र
1	अजमेर	बड़ली (भिनाय)
2	अलवर	कैरवा (कोटकासिम)
3	बाड़मेर	रामसर, कागो की ढाणी (सिणधरी), सदराम की बेरी (सेडवा)
4	बीकानेर	बज्जू, तेजपुरा, पूगल, सत्तासर (छतरगढ़)
5	भीलवाड़ा	खेमाणा (रायपुर), खांखला (गंगापुर), फतेहपुरा समेलिया (शाहपुरा), कीडीमाल (करेड़ा), फूलियाकलां
6	चित्तौड़गढ़	उपरेड़ा (राशमी), भूरकियाकलां (बड़ी सादड़ी), करसाना (डूंगला), आकोला (भूपालसागर)
7	जालौर	खेडाधनारी (आहोर), पांथेडी (सायला)
8	जैसलमेर	भणियाना

क्र.सं.	जिला	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र
9	झालावाड़	बाल्दा (पिड़ावा), लाडपुरा बलराम (मनोहरथाना)
10	जोधपुर	खुड़ियाला (बालेसर)
11	कोटा	पीसाहेड़ा (कनवास)
12	नागौर	हरसौर (डेगाना), गोल (रियांबड़ी)
13	पाली	नाडोल चक-2 (देसूरी)
14	राजसमंद	राछेटी एवं साकरडा (आमेट)
15	सीकर	दयालका नांगल (नीमकाथाना)
16	टोंक	भूरटिया (निवाई)
17	उदयपुर	वल्लभनगर, नांदेशमा (गोगुन्दा)

50. Technology आधारित Industries लगाने हेतु सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र-ग्रेटर भिवाडी तथा बोरानाडा-जोधपुर में 250-250 करोड़ रुपये की लागत से Multi Storied Industrial Complex विकसित किये जायेंगे। इन परिसरों में IT, ITes, Readymade Garments, Jewellery एवं सर्विस सेक्टर इकाइयों को Plug And Play Facility के साथ स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही जोधपुर में एक अतिरिक्त Inland Dry Port की स्थापना की जायेगी।

51. आगामी वर्ष में RIICO के माध्यम से भिवाड़ी शहर Greater Bhiwadi, Marwar Industrial Area जोधपुर-पाली, सीतापुरा-जयपुर, बोरानाड़ा-जोधपुर एवं पाली सहित 20 औद्योगिक क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्य हाथ में लिये जायेंगे। साथ ही भिवाड़ी शहर व औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज सम्बन्धी समस्या के निवारण हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत से एक वृहद प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।

52. पचपदरा-बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन (PCPIR) की स्थापना की जायेगी। इसके आधारभूत संरचना के चरणबद्ध विकास हेतु रीको के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 1 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को Rips के अन्तर्गत लाभान्वित भी किया जायेगा।

53. प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सहज एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में Central Industrial Security Force

(श्री अशोक गहलोत)
(CISF) की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (RISF) का गठन किया जायेगा। आगामी वर्ष इसके अन्तर्गत 2 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती की जायेगी।

सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

अध्यक्ष महोदय, समाज के पिछड़े, जरूरतमंद तथा असहाय वर्गों को सम्बल प्रदान करने के लिये हमारे द्वारा अथक प्रयास किये जाते रहे हैं। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का प्रथम दायित्व समाज में व्याप्त विषमताओं को समाप्त कर प्रत्येक जरूरतमंद वर्ग/व्यक्ति की जिन्दगी को खुशहाल बनाते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवनयापन करने का अवसर प्रदान करना है। मैं यहां समाजसेवी बाबा आमटे के कथन को याद करना चाहूंगा-

"मैं एक महान नेता नहीं बनना चाहता हूं, मैं एक आदमी बनना चाहता हूं जो कि थोड़े से मिलने पर भी सन्तुष्ट हो और लोगों के टूटने पर उनकी सहायता भी करे। जो मनुष्य ऐसा करता है वह निश्चित ही किसी पवित्र व्यक्ति से भी बड़ा है। यही मेरे जीवन का आदर्श है।"

54. वर्ष 2021-22 में मैंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिये विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने व 100-100 करोड़ रुपये के विकास कोष बनाने की घोषणा की थी। मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि विधान सभा के इस सत्र में हम Rajasthan State SC and ST Development Fund (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Bill पेश कर रहे हैं। साथ ही अब मैं, SC व ST विकास कोष की राशि 100-100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष 500-500 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं। प्रत्येक कोष के अंतर्गत-

i. 200 करोड़ रुपये रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिये,

ii. 150 करोड़ रुपये शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिये, तथा

iii.150 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना एवं जन सहभागिता से कराये जाने वाले कार्यों के लिए रखा जाना प्रस्तावित है।

55. साथ ही, अब मैं सामान्य श्रेणी के Economically Weaker Section (EWS) परिवारों को भी आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये का EWS कोष बनाने की घोषणा करता हूं। जिसके अन्तर्गत शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना इत्यादि के कार्य हाथ में लिए जायेंगे।

56. शहरी क्षेत्रों एवं बड़े क़स्बों में जरूरतमंदों, मजदूरों व विभिन्न कार्यों के लिए बाहर से आए व्यक्तियों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमारे द्वारा इंदिरा रसोई योजना प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। इनकी उपयोगिता व लोकप्रियता को देखते हुए इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाते हुए 1 हजार किये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 250 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय प्रस्तावित है।

57. कालेज जाने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को इस वर्ष दी जा रही 2 हजार स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अन्तर्गत 5 हजार किये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के अन्तर्गत मेधावी छात्राओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की घोषणा करता हूं। इन पर लगभग 170 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा।

58. दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षण, रिसर्च, शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु, जामडोली-जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूं। साथ ही, नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर को कालेज में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांगों के लिये NGOs द्वारा संचालित स्कूलों, आवासीय विद्यालयों को वेतन भत्तों हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि को 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूं।

59. गत बजट में मैंने बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति लाने की घोषणा की थी, जो अब बनकर तैयार है। आगामी वर्ष इस नीति के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे कराकर उनके जनाधार कार्ड बनवाये जायेंगे। साथ ही, उनके रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास सम्बन्धी कार्य कराये जायेंगे।

60. राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एव असहाय/ निराश्रित व्यक्तियों के लिये आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक ज़िले में आवश्यकतानुसार पुनर्वास गृह

निर्मित किये जाकर चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जायेंगे। आगामी वर्ष 75-75 क्षमता के 45 गृहों को स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इस हेतु 90 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

61. प्रदेश में मिरासी समुदाय (मिरासी, ढाढी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा) एवं भिश्ती समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान व इन्हें सम्बल प्रदान करने के लिये लगभग 20 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

62. हमारी सरकार श्रमिकों के उत्थान के लिये सतत प्रयासरत है। निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिये Construction Workers Cess Fund के अन्तर्गत वर्ष 2017 के उपरान्त लम्बित प्रकरणों के क्रम में इन श्रमिकों को राहत देने की दृष्टि से जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, अधिकारियों के साथ ही NGOs / Civil Society के सहयोग से 3 माह की समय सीमा में समस्त पात्र प्रकरणों का भुगतान सुनिश्चित करने की घोषणा करता हूं।

63. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व बारां ज़िलों के लिये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारम्भ की गयी थी। इसके अन्तर्गत दूसरी सन्तान के जन्म पर 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अब मैं, योजना का दायरा बढ़ाते हुये, इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 3 लाख 50 हजार गर्भवती महिलायें लाभान्वित होंगी। इस पर 210 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

64. पालनहार योजना में 0-6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर एक हजार 500 रुपये व 6-18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों हेतु एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार 500 रुपये प्रतिमाह किये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 20 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 14 हजार बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।

65. मैं पश्चिमी राजस्थान के गैर-अनुसूचित जनजाति क्षेत्र (Non-TSP) के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर में 30 करोड़ रुपये की लागत से 400 छात्र-छात्राओं हेतु जनजाति आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूं। साथ ही बेडा (बाली)-पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर व जैसलमेर में जनजाति छात्रावासों का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।

66. आगामी वर्ष में उच्चैन-भरतपुर में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, प्रतापगढ़, परबतसर-नागौर में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बेगूं-चित्तौड़गढ़ में देवनारायण बालिका छात्रावास तथा खुरीकलां-दौसा में देवनारायण बालक छात्रावास खोले जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही राडावास-जयपुर एवं हींसला (थानागाजी)-अलवर में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।

67. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास खोले जायेंगे। आगामी वर्ष में इसके अंतर्गत जैसलमेर चौरडी-दौसा, नागोला (भिनाय)-अजमेर, टोंक, बालोतरा-बाड़मेर व चितलवाना (सांचौर)-जालौर में छात्रावास खोले जायेंगे।

68. अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु आधारभूत संरचना, शैक्षणिक विकास तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं-

I. चूरू, सवाई माधोपुर, नागौर, फतेहपुर-सीकर एवं ब्लॉक तिजारा-अलवर, घड़साना-श्रीगंगानगर व सम-जैसलमेर में लगभग 180 करोड़ रुपये की लागत से 7 अल्पसंख्यक बालक-बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।

II. घड़साना-श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा व अजमेर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, लाडनूं-नागौर, गंगापुर सिटी-सवाई माधोपुर, पाली, पहाड़ी (कामां)-भरतपुर एवं अलवर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवनों का 20 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

III. पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम मय इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम बनाये जायेंगे।

IV. हज हाउस, जयपुर में द्वितीय तल का निर्माण व विस्तार कार्य करवाये जायेंगे।

69. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गेहूं प्राप्त करने से, कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद, अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित हैं। ऐसे परिवारों को NFSA (National Food Security Act) पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी, 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्ध परिवारों को शामिल करते हुए, शेष छूटे हुए परिवार मिलाकर लगभग 10 लाख नये परिवार जोड़ने की मैं, घोषणा करता हूं।

आधारभूत संरचना (Infrastructure):

सड़क एवं सुनियोजित विकास:

70. राज्य की आधारभूत संरचना में सड़कों का विशेष महत्व है। माननीय सदस्यों ने सड़कों के प्रस्ताव देने में अतिरिक्त रुचि दिखाई है। सड़कों का विकास हमारी प्राथमिकता है, किन्तु सभी प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में एक-साथ सड़कें बनाया जाना सम्भव नहीं है। तथापि हम हर क्षेत्र की सड़कों को आवश्यकतानुसार चरणबद्ध रूप से बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

71. इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले बजट में प्रत्येक जिले के 3 प्रमुख सड़क मार्गों के कुल 99 मेजर रिपेयर कार्य एक हजार 900 करोड़ रुपये की लागत से कराये जाने की घोषणा की गई थी, जिनका कार्य प्रगति पर है। जिलों से मिले सकारात्मक फीडबैक को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में भी प्रत्येक जिले की 3 महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों के 3 हजार 133 करोड़ रुपये की लागत से मेजर रिपेयर एवं उन्नयन कार्य करवाये जाने की घोषणा करता हूं। ये सड़कें हैं-

इन सड़कों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(कृपया परिशिष्ट "1" देखें)

72. माननीय अध्यक्ष महोदय, गत बजट में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य कराये जाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। आगामी वर्ष इस राशि को बढ़ाते हुए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ रुपये नॉन-पेचेबल/क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए तथा 3 करोड़ रुपये मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस हेतु 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

73. राज्य के कई नगरीय निकायों में समुचित वित्तीय संसाधन नहीं हैं। इसलिए पिछले वर्ष की बजट घोषणा की भांति सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नगर निगम की 40 किलोमीटर, नगर परिषद् की 25 किलोमीटर व नगरपालिका की 15 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इस पर लगभग 1 हजार 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

74. प्रदेश के 4 हजार किलोमीटर के राजमार्ग (State Highway) जो 2 लेन नहीं हैं, उनमें से प्रथम चरण में एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों को 2 लेन किया जायेगा। इस पर 1 हजार 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

75. केन्द्र सरकार ने प्रदेश के मात्र 4 शहरी क्षेत्रों जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित किया है। मैं, राज्य के शेष रहे सम्भाग मुख्यालयों- जोधपुर, बीकानेर एवं भरतपुर सहित अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ शहर के समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में एक हजार 500 करोड़ रुपये के प्रावधान से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।

76. हमारे द्वारा गत कार्यकाल में Jaipur Metro के रूप में Public Transport के क्षेत्र में नये युग की आधारशिला रखी गयी थी। वर्तमान में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक Metro संचालित है। अब मैं, जयपुर मैट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली-आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक (फेज 1-C) एवं मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक (फेज 1-D) जोड़ने की घोषणा करता हूं। इस पर 1 हजार 185 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। साथ ही, जयपुर मैट्रो के द्वितीय चरण-सीतापुरा से अम्बाबाड़ी की नये स्वरूप में DPR तैयार की जानी प्रस्तावित है।

77. प्रदेश की राजधानी जयपुर में बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण हमें विकास की दूरगामी योजना बनाते हुए नये Satellite Towns बनाने की कार्ययोजना पर अभी से कार्य करना होगा। साथ ही, इन Satellite Towns जैसे- चाकसू, बस्सी, चौमूं, बगरू, फागी एवं चंदवाजी के मास्टर प्लान के साथ-साथ इन्हें मैट्रो/लाइट रेल से जोड़ने की DPR बनाया जाना प्रस्तावित है।

78. यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सिंधी कैम्प को Multimodal Integrated ISBT Hub के रूप में विकसित करते हुए सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड एवं दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस टर्मिनल बनाये जायेंगे। इन पर लगभग 750 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। साथ ही, Roadways (RSRTC) एवं निजी बसों के Stands के उन्नयन व repair संबंधी कार्य लगभग 125 करोड़ रुपये की राशि से कराये जाने प्रस्तावित हैं।

79. प्रदेश के शहरों में आमजन की सुविधा बढ़ाने, यातायात दबाव

कम करने, सुनियोजित विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु लगभग 525 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य करवाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं:-

इसकी पूरी सूची सदन के पटल पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

(कृपया परिशिष्ट '2' देखें)

80. नाथद्वारा-राजसमन्द, पुष्कर-अजमेर, पिलानी-झुंझुनूं एवं माउंट आबू-सिरोही में 160 करोड़ रुपये की लागत से सौन्दर्यीकरण एवं अन्य आधारभूत कार्य करवाये जायेंगे।

81. जयपुर में ड्रेनेज प्लान को सुदृढ़ करने हेतु गोनेर रोड नाला, वन्दे-मातरम् रोड, जयसिंहपुरा भांकरोटा रोड का नाला, जगतपुरा एवं बैनाड़ रोड पर 142 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराये जायेंगे। साथ ही, जयपुर के परकोटा क्षेत्र में गंदी गलियों की सफाई के कार्य को हाथ में लिया जायेगा।

82. नवलगढ़-झुंझुनूं, सागवाड़ा-डूंगरपुर, भवानी मण्डी-झालावाड़ एवं बूंदी में 300 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेनेज एवं अन्य आधारभूत कार्य करवाये जायेंगे।

83. शहरी आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए, शहरों से लगती हुई ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी भूमि को नगरीय निकाय को आबंटित किया जाना उपयुक्त होगा। इस हेतु नीति लाया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में कड़ाना क्षेत्र की 76 बीघा भूमि नगरपालिका सागवाड़ा-डूंगरपुर को नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं।

84. डांग क्षेत्र विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड व मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली राशि को 10-10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आगामी वर्ष 25-25 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूं। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

85. सुनियोजित विकास एवं बेहतर आधारभूत सुविधायें विकसित करने की दृष्टि से उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किये जाने की घोषणा करता हूं।

पेयजल एवं जल संसाधन:

86. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश का लगभग सम्पूर्ण भू-भाग जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से विपरीत परिस्थिति से ग्रसित है। घर-घर जल पहुंचाने के महत्व को देखते हुए कोरोना काल के बावजूद भी हमने अपना बराबर का हिस्सा उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यों को तीव्र गति से (Fast Track कर) implement किया है। सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि 60 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं, जिनसे 35 हजार 776 गांव लाभान्वित होंगे। इस योजना में 86 लाख 21 हजार घरों में नल कनेक्शन दिये जायेंगे।

87. जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने हेतु 35 परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी। इनमें से 11 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आगामी वर्ष में लगभग 13 हजार 921 करोड़ रुपये की लागत से 24 परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जिससे प्रदेश के 5 हजार 833 गांवों के 12 लाख 24 हजार से ज्यादा घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ये परियोजनाएं हैं:-

इन 24 परियोजनाओं की सूची मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं-

(कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

88. वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ही 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की 36 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ किया जाना भी प्रस्तावित करता हूं। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 5 हजार 500 गांवों के लगभग 20 लाख घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ये परियोजनाएं हैं:-

इन 36 परियोजनाओं का विवरण मैं सदन के पटल पर पेश कर रहा हूं।

(कृपया परिशिष्ट '4' देखें)

89. इसी तरह जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जाखम बांध से प्रतापगढ़, अरनोद एवं पीपलखूंट क्षेत्र- प्रतापगढ़ के 554 गांवों को घर-घर जल उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की डीपीआर तैयार कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस परियोजना पर लगभग एक हजार 620 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

90. वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल कनेक्शन के कार्य द्वारा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द जिलों के एक

हजार 899 गांवों की आबादी को लाभान्वित करने के लिए क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना की डीपीआर तैयार की जायेगी।

91. पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उदयपुर के कोटड़ा तहसील में बुजा तथा चक सांडमारिया बांधों का एक हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाने की घोषणा करता हूं। इन बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु एक हजार 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

92. माउण्ट आबू शहरी पेयजल योजना के अन्तर्गत सालगांव-सिरोही में बांध निर्माण सहित अन्य कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। साथ ही, निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में पेयजल हेतु 106 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।

ऊर्जा :

93. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता Ella Baker ने कहा था-

'Give light and people will find the way'.

अर्थात् 'रोशनी दें और लोग रास्ता तलाश लेंगे।'

इस कथन को चरितार्थ करते हुए हमने विभिन्न वर्गों को बिजली की दर में अनुदान के माध्यम से कमी कर उनका जीवन रोशन करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारे द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा ऊर्जा तंत्र का सुदृढ़ीकरण करने का कार्य भी किया गया है।

94. बिजली उत्पादन की लागत तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दृष्टि से-

1. छबड़ा तापीय विद्युतगृह का विस्तार कर अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित 660-660 मेगावाट की दो इकाइयों की 9 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से स्थापना की जायेगी।

2. कालीसिंध-झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार करते हुए अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित की जायेगी।

95. गुढ़ा-बीकानेर में 950 करोड़ रुपये की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जायेगी।

96. राज्य के विद्युत वितरण तंत्र में 'परिचालन हानि (AT & C Loss) में कमी लाने के लिए 'पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना' (Revamped Distribution Sector Scheme-RDSS) के अन्तर्गत आगामी 2 वर्षों में विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं-

1. 3 हजार 565 करोड़ रुपये खर्च कर 48 लाख उपभोक्ताओं के प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे।

2. विद्युत वितरण के बुनियादी ढांचे को अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

97. ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु-

1. धौलपुर व उदयपुर में 400-400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। इन पर 650 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

2. बाड़ी-धौलपुर एवं सीकरी-भरतपुर के 132 केवी जीएसएस को 220 केवी के जीएसएस में क्रमोन्नत किया जायेगा।

3. छत्रैल-जैसलमेर, बयाना-भरतपुर, चौरड़ी-दौसा, दातिणा (खींवसर)-नागौर, अजनोटी-सवाई माधोपुर व मासलपुर, कटकड-करौली में 132 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

4. परवेनी (राजगढ़)-अलवर, नगड़ानी फांटा गिड़ा (चौहटन), चांदसेरा (पचपदरा)-बाड़मेर, धाखड़ खेड़ी (माण्डलगढ़)-भीलवाड़ा, खुरीकलां-दौसा, नवां (सादुलपुर)-चूरू, खेड़ली (राजाखेड़ा)-धौलपुर, कुलचासर (नोहर)-हनुमानगढ़, बिरासना (जमवारामगढ़)-जयपुर, डाबोली मीठी (डेगाना)-नागौर, निभेरा (बयाना)-भरतपुर, रामपुरिया (दीगोद)-कोटा, डाबर (नीमकाथाना)-सीकर एवं स्यावता (देवली)-टोंक में 33 केवी जीएसएस स्थापित किये जायेंगे।

वन एवं पर्यावरण:

98. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने तथा हरियाली बढ़ाये जाने हेतु आगामी वर्ष में 50 हजार हैक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

99. विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी)-जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में 30 करोड़ रुपये की लागत से Botanical Gardens स्थापित किये जायेंगे।

100. अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साइट सांभर झील के Integrated Management Development and Conservation की दृष्टि से 'Sambhar Lake Management Project' आरम्भ किया जायेगा। इसके लिए आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

101. आमजन, संस्था कोर्पोरेट वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों, (Zoological Park-Zoo) में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponsorship Scheme शुरू की जायेगी।

102. राज्य के सभी जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में चरणबद्ध रूप से आधुनिक वन्यजीव रोग निदान रेस्क्यू सेन्टर विकसित किये जायेंगे। प्रथम चरण में नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर तथा माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर में ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

103. e-Waste के निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 'e-Waste Disposal Policy' लाने के साथ-साथ जयपुर में 'e-Waste Recycling Park' स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक निवेश राज्य की ओर से किया जायेगा।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति:

104. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में हमारे द्वारा 500 करोड़ रुपये की राशि से पर्यटन विकास कोष बनाया गया था, किन्तु कोरोना प्रभाव के कारण इस कोष से करवाये जाने वाले कार्य अभी भी प्रारम्भिक स्तर पर ही हैं। इसकी क्षतिपूर्ति करते हुए पर्यटन सम्बन्धी कार्यों को और अधिक गति से किये जाने की दृष्टि से मैं, 'पर्यटन विकास कोष' की राशि को बढ़ाते हुए एक हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं। इसमें 400 करोड़ रुपये प्रदेश की Tourism Destination के रूप में Branding करने, जिसमें Media Plan, Events, Concerts आदि शामिल होंगे तथा 600 करोड़ रुपये पर्यटन स्थलों/सर्किट से सम्बन्धी आधारभूत संरचना के कार्यों के लिए खर्च किये जायेंगे।

105. प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु-

1. प्रत्येक जिले में 2-2 पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर जन सुविधा सम्बन्धी 100 करोड़ रुपये के कार्य आगामी वर्ष हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

2. जयपुर में 100 कमरों के State Guest House के रूप में विकसित करने की दृष्टि से खासा कोठी के पूर्ण पुनरुद्धार हेतु डीपीआर बनवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

3. प्रदेश में इन्ट्रास्टेट हवाई सेवा पुन: संचालित करते हुए, जहां भी demand एवं feasibility होगी, उन स्थानों को भी इस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस पर 15 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय आयेगा।

4. साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए Adventure Tourism Promotion Scheme लायी जायेगी।

5. पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 10 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत आनलाइन बुकिंग Portal एवं Mobile App विकसित किये जायेंगे।

6. पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों हेतु 500 'पर्यटक मित्र' भर्ती किये जायेंगे।

106. डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानगढ़धाम-देवसोमनाथ-बेणेश्वर-गलियाकोट-अरथूना-त्रिपुरा सुंदरी कडाना-माही बजाज सागर-कागदी पिकअप-घोटिया अम्बा-आदि पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को सम्मिलित कर वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जायेगा।

107. सवाई माधोपुर में रणथम्भौर रोड पर राजीव गांधी सेन्ट्रल पार्क का 15 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथम्भौर-सवाई माधोपुर तथा रामेश्वर महादेव मंदिर, आकोदा (हिण्डोली)-बूंदी मंदिर के लिए रोप-वे की डीपीआर तैयार करवायी जायेगी। इन पर 5 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

108. गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में 10 करोड़ रुपये की लागत से वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जायेगी।

109. लोक कलाकारों को दिये जाने वाले मानदेय व अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

कानून व्यवस्था

आज देश में धार्मिक तथा सामाजिक मुद्दों पर असुरक्षा, तनाव एवं अविश्वास का माहौल बढ़ा है। हमारे देश की संस्कृति में हमेशा से ही सर्वधर्म

(श्री अशोक गहलोत)

समभाव की भावना रही है और हमने वसुधैव कुटुम्बकम् के विचार को आत्मसात किया है। वर्तमान परिदृश्य में सरकार के साथ-साथ सभी जागरूक संस्थाओं, प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं आमजन को एकजुट होकर सामाजिक समरसता कायम रखने के लिए अथक प्रयास करने की जरूरत है।

110. प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने व अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण की दृष्टि से-

I. मैं, आगामी वर्ष में 108 Ambulance की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर, Dial 100/Dial 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल Units के गठन की घोषणा करता हूं।

II. अभय कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर से जुड़े कैमरों की संख्या को 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किया जायेगा। साथ ही, बड़े निजी संस्थानों एवं व्यावसायिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाकर अभय कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने की कार्ययोजना बनायी जायेगी।

III. साइबर अपराधों की रोकथाम, Digital Ecosystem की साइबर खतरों से सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ की लागत से Centre for Cyber Security की स्थापना की जाएगी। साथ ही, प्रदेश के सभी जिलों में Cyber Police Stations स्थापित किये जाने की घोषणा करता हूं।

IV. आगामी वर्ष में पोकरण-जैसलमेर, हिण्डौन-करौली एवं कामां-भरतपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जायेंगे।

V. नत्थुसर घाटी-बीकानेर, कसारवाड़ी (सज्जनगढ़), गांगडतलाई-बांसवाड़ा, भादासर (सरदारशहर) चूरू, भाण्डारेज (सिकराय)-दौसा, पीलवा (लोहावट), सेखाला (शेरगढ़), लालसागर (मण्डोर)-जोधपुर, गोठड़ा (हिण्डोली)-बूंदी, सुरपालिया (जायल), लूणवां (नावां)-नागौर, जाजोद (खण्डेला)-सीकर, भाणदा (खेरवाड़ा)-उदयपुर, श्रीनाथ जी मंदिर (नाथद्वारा) कुम्भलगढ़ दुर्ग (केलवाड़ा)-राजसमंद व टूकड़ा (जैतारण)-पाली में नवीन पुलिस चौकियां खोली जानी प्रस्तावित हैं। साथ ही, मालारामपुर (संगरिया)-हनुमानगढ़ में एंटी नारकोटिक्स चौकी बनायी जायेगी।

VI. सोने का गुर्जा (बाड़ी)-धौलपुर, झांपदा (लालसोट)-दौसा, बगड़ तिराया (रामगढ़), अकबरपुर-अलवर, राजतलाब-बांसवाड़ा, धनाऊ (चौहटन), रीको क्षेत्र-बाड़मेर, रायथल-बूंदी, सरोदा-डूंगरपुर, फेफाना (नोहर)-हनुमानगढ़,

बिन्दायका-जयपुर, चामू (शेरगढ़)-जोधपुर, रानपुर-कोटा, मित्रपुरा (बामनवास), कुण्डेरा-सवाई माधोपुर, जीणमाता-सीकर, बर (रायपुर)-पाली व पाटिया (खेरवाड़ा)-उदयपुर की पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VII. बिशनगढ़ (सांचौर)-जालौर, पाली (छबड़ा)-बारां व कापरड़ा (बिलाड़ा)-जोधपुर में नवीन पुलिस थाने खोले जायेंगे।

VIII. मसूदा-अजमेर, कठूमर-अलवर, उच्चैन (नबदई)-भरतपुर, लाड़नूं-नागौर, बीदासर (सुजानगढ़)-चूरू, दांतारामगढ़-सीकर व जोबनेर-जयपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जायेंगे।

IX. भिवाड़ी पुलिस लाइन सहित विभिन्न स्वीकृत पुलिस इकाइयों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।

111. कारागृह में रह रहे बंदियों को भी उचित वातावरण एवं सुविधाएं मिल सकें, इस दृष्टि से प्रदेश की जेलों के आवश्यक रिपेयर कार्य कराने के साथ ही सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, खुला बंदी शिविरों (Open Jails) में 240 आवासों का निर्माण करवाया जायेगा। इन कार्यों पर 75 करोड़ रुपये का व्यय सम्भावित है।

112. आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिये आगामी वर्ष में-

I. भिवाड़ी-अलवर, नोखा-बीकानेर, सांगोद-कोटा, तारानगर-चूरू में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय खोले जायेंगे।

II. चित्तौड़गढ़, मेड़ता एवं सीकर में विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) खोले जायेंगे।

III. रेलमगरा-राजसमन्द एवं किशनगढ़ बास-अलवर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जायेंगे।

IV. ब्यावर-अजमेर, राजगढ़, तिजारा-अलवर, दौसा, नागौर एवं पावटा-जयपुर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जायेंगे।

V. सूरजगढ़-झुन्झुनूं व सेड़वा (चौहटन)-बाड़मेर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जायेंगे।

VI. लाडनूं, कुचामन सिटी-नागौर, श्रीविजयनगर-श्रीगंगानगर, टिब्बी-

(श्री अशोक गहलोत)

हनुमानगढ़ एवं बौंली-सवाई माधोपुर के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

VII. भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर व उदयपुर में पारिवारिक न्यायालय खोले जायेंगे।

113. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिसर में 'Bar Council of Rajasthan' के लिये 8 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से भवन का निर्माण करवाया जायेगा।

(समय: 12.13 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सुशासन:

माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रथम कार्यकाल में वर्ष 2002 में जयपुर में लोक मित्र की स्थापना के साथ लोगों को बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाये सुगमता से सेवाएं उपलब्ध कराने के नये युग का प्रारम्भ हुआ था। यही लोक मित्र, आज ई-मित्र के रूप में 80 हजार से अधिक कियोस्कों तथा लगभग 15 हजार ई-मित्र प्लस के रूप में 400 से अधिक तरह की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहे हैं।

114. कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मैं 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना' प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूं। इसके तहत लगभग एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन वर्ष की internet connectivity के साथ smart phone दिये जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 2 हजार 500 करोड़ रुपये वार्षिक का व्यय किया जायेगा। इससे सभी तरह की सेवाएं प्राप्त करने के साथ-साथ शिकायतों के त्वरित निस्तारण की सुविधा भी मिल सकेगी।

115. मेरे द्वारा वर्ष 2009-10 में प्रदेश का प्रथम एकीकृत राजकीय Call centre स्थापित किया गया था। वर्तमान में 400 Seater Call centre, 181 CM Helpline के रूप में कार्यरत है। इस Toll Free Helpline ने आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी समस्याओं के निराकरण में अहम भूमिका निभायी है। इसके

दृष्टिगत मैं 181 CM Helpline को और अधिक सुदृढ़ करते हुए इसे 400 से बढ़ाकर एक हजार Seater Call Centre करने की घोषणा करता हूं। इस पर 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

116. विभिन्न विभागों द्वारा पात्रतानुसार लाभार्थियों को Non-cash Benfits यथा- Scooty, Laptop, Cycle, कृषि उपकरण, विशेष योग्यजन के उपकरण आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस कार्य में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता लाने के साथ-साथ लाभार्थियों को विकल्प प्रदान कर empower किया जायेगा। इसके लिए आगामी वर्ष से 'e-RUPI' एवं जन आधार 'e-Wallet' के माध्यम से इन लाभार्थियों को स्वयं अपनी पसन्द से सामग्री क्रय करवाया जाना प्रस्तावित है।

117. माननीय सभापति महोदय, ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक- Block Chain के उपयोग से विभिन्न परियोजनाओं जैसे Integrated Financial Management System (IFMS) 3.0, इलेक्ट्रॉनिक हैल्थ रिकार्ड्स, जन आधार रेजिडेंट डाटा रिपॉजिटरी आदि में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 30 करोड़ रुपये की राशि से Block Chain Centre of Excellence की स्थापना की जायेगी।

118. प्रदेशवासियों को जवाबदेही (Accountability) एवं पारदर्शिता (Transparency) के साथ समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से हमने दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन की व्यवस्था समाप्त करते हुए 'Digital Verification' आधारित Auto Approval तथा Deemed Approval प्रणाली विकसित की है। पात्र लाभार्थियों की किसी अन्य पर निर्भरता समाप्त करने की दृष्टि से इस Auto प्रणाली को बाध्यकारी करने के लिए मैं, 'Rajasthan Guaranteed Service Delivery and Accountability Act लाया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस अधिनियम को हमारे द्वारा पूर्व में लाये गये 'Right to Hearing Act' एवं 'Guaranteed Delivery of Public Services Act' को समाहित करते हुए सुदृढ़ किया जायेगा।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण:

119. प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु-

I. भिवाड़ी-अलवर, सीकर, सिरोही, लक्ष्मणगढ़-सीकर, भिवाड़ी, हिण्डौली-

बूंदी, श्रीगंगानगर, केकड़ी-अजमेर व बांसवाड़ा में मिनी सचिवालय की स्थापना हेतु DPR बनाया जाना प्रस्तावित है।

II. जयपुर में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (SIPF) के भवन तथा दौलतपुरा (जमवारामगढ़)-जयपुर में नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

III. विभिन्न आयोगों एवं वैधानिक निकायों हेतु इन्दिरा गांधी नहर मण्डल के परिसर में नवीन भवन का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

IV. समेरी-उदयपुर, सावर (केकड़ी)-अजमेर, बसवा-दौसा व मण्डावा-झुंझुनूं में नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित है।

V. राजगढ़-अलवर में राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प कोर्ट) न्यायालय खोला जायेगा।

VI. खैरथल, हरसौली (किशनगढ़बास)-अलवर, भानीपुरा (सरदारशहर)-चूरू, बांदीकुई-दौसा, पल्लू (नोहर)-हनुमानगढ़, कुड़ी भगतासनी, घंटियाली (फलौदी)-जोधपुर, फलसूण्ड (पोकरण), रामगढ़-जैसलमेर, भाद्राजून (सांचौर)-जालौर, बिसाऊ (मण्डावा)-झुंझुनूं, कालवाड़-जयपुर, मौलासर (डीडवाना)-नागौर, रींगस(खण्डेला)-सीकर, उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा।

VII. साहडोली (रामगढ़)-अलवर, बडौरा (अटरू)-बारां, रणजीतपुरा (कोलायत), सूडसर (डूंगरगढ़)-बीकानेर, विशाला-बाड़मेर, गोपालगढ़(कामां), खरैरी (बयाना), जालूकी (नगर)-भरतपुर, आभानेरी (बांदीकुई)-दौसा, जारगा (बसेड़ी), मरैना (राजाखेड़ा)-धौलपुर, निमेड़ा (फागी)-जयपुर, चामू, आसोप (भोपालगढ़)-जोधपुर, नाचना (पोकरण), मोहनगढ़-जैसलमेर, गुढ़ा (उदयपुरवाटी)-झुन्झुनूं, बपावर (सांगोद)-(कोटा), बडू (परबतसर)-नागौर, जैतपुर (रोहट), तखतगढ़ (सुमेरपुर)-पाली, मुंगाणा (धरियावद)-प्रतापगढ़, टोडरा (खण्डार)-सवाई माधोपुर बार (भीम)-राजसमन्द, राणौली (पीपलू)-टोंक तथा बावलवाड़ा (खेरवाड़ा)-उदयपुर में उप तहसील खोली जायेंगी।

VIII. आगामी वर्ष में तहसील कार्यालयों में पुराने हो चुके वाहनों के स्थान पर 100 नये वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

120. प्रदेश में बहादुरपुर (किशनगढ़बास), नीमराणा, टपूकड़ा-अलवर,

खाजूवाला-बीकानेर, सिवाना-बाड़मेर, मण्डावर (महवा)-दौसा, नरैना (नरायणा)-जयपुर, उदयपुरवाटी-झुंझुनूं, जायल, बासनी-नागौर, मारवाड़ जंक्शन-पाली, टीब्बी-हनुमानगढ़, दांतारामगढ़-सीकर व बौंली-सवाई माधोपुर को नगरपालिका बनाया जायेगा। साथ ही, नगरपालिका कोटपूतली-जयपुर व कुचामन सिटी-नागौर को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया जायेगा।

121. सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारों को एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण को ध्यान में रखते हुए जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

122. हमारी सरकार का ध्येय पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के आधार पर आमजन के लिए सुशासन स्थापित करना है। सुशासन की परिकल्पना कर्मचारियों के योगदान के बिना अधूरी है। अत: कर्मचारी-अधिकारी वर्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 2013 की भांति हम सकारात्मक कदम उठाने जा रहे हैं।

123. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा कि पिछली सरकार द्वारा सातवें वेतनमान लागू करने के लिए निकाले गये 30 अक्टूबर, 2017 के आदेश से ACP (Assured Career Progression) सम्बन्धी विसंगति उत्पन्न हो गयी थी, जिसके चलते कर्मचारियों में आज भी रोष व्याप्त है। मैं, इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2017 के इस आदेश में परिवर्तन कर हमारे पूर्व कार्यकाल (वर्ष 2013) में ACP के रूप में देय Next Grade Pay दिये जाने के प्रावधान को बहाल करने की घोषणा करता हूं। हमारे इस एक निर्णय से आगामी वर्ष से सरकार पर एक हजार करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त भार आयेगा।

124. कई निगम/बोर्ड/उपक्रम/स्वायत्तशाषी संस्था/विश्वविद्यालय के कार्मिकों को वर्तमान में सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी संस्थाओं में भी आगामी वर्ष से मैं, सातवां वेतनमान देने की घोषणा करता हूं। इस निर्णय से रोडवेज, RTDC सहित सभी ऐसी संस्थाओं के कार्मिकों को लाभ मिल सकेगा।

125. विभिन्न सेवा/काडर में पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पुनर्गठन एवं Promotional Posts में वृद्धि की कार्यवाही करने की मैं, घोषणा करता हूं। इससे विभिन्न सेवाओं यथा

(श्री अशोक गहलोत)
राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा, राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा, RAC, पुलिस, वायरलेस सेवा इत्यादि की समस्या का निराकरण सम्भव हो सकेगा।

126. विभिन्न राजकीय विभागों में 30-35 वर्षों कार्य कर जनसेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में सार-सम्भाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आयी है। किन्तु वर्ष 2004 के बाद सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए National Pension Scheme (NPS) के अन्तर्गत Contributory Pension का ही प्रावधान किया गया है। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरान्त वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है, जो कि हमारे लिए चिन्ता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय-समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यथा से अवगत कराया है। अत: 01 जनवरी, 2004 और इसके पश्चात् नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी मैं, आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना (OPS) लागू करने की घोषणा करता हूं।

(समय: 12.24 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ताली तो कभी-कभी आप लोग भी बजा दिया करो। आप कहते नहीं हो लोगों को। कई कॉमन पाइंट आ रहे हैं। कॉमन पाइंट में कॉमन रहो भाई। अलग क्यों रहते हो?

127. अब मैं, Home Guards की सेवायें राजकीय कार्यालयों में logistical कार्यों हेतु लिया जाना प्रस्तावित करता हूं। इससे विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा व कार्य प्रणाली सुदृढ़ होने के साथ ही लगभग 10 हजार होम गार्ड्स को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

128. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार संविदा कार्मिकों के हितों के

(श्री अशोक गहलोत)

लिए विशेष कदम उठाती रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी, 2022 को Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 लागू किये गये हैं। इसी के साथ ही, पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाये जाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके साथ ही, प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड-डे मील कुक कम हैल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स तथा REXCO कर्मी आदि जिनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है, उनके मानदेय में भी 01 अप्रैल, 2022 से 20 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की घोषणा करता हूं।

129. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जमीनी स्तर पर समस्त सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ आम आदमी के सुख-दु:ख का ध्यान रखने में नगरीय निकायों व पंचायतराज संस्थाओं के चुने हुए जन प्रतिनिधियों की महती भूमिका है। उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में आसानी हो, इस दृष्टि से मैं, इनके मानदेय/भत्तों में आगामी वर्ष से 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा करता हूं।

130. अध्यक्ष महोदय, सुशासन स्थापित करने में लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ Media/Press की भूमिका के महत्व को सभी स्वीकार करेंगे। सभी वर्गों के साथ-साथ Media के साथियों ने भी कोविड की समस्या का न सिर्फ सामना किया, वरन कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान भी दिया है। अभी तक कोरोना Duty कर रहे अधिस्वीकृत पत्रकारों का निधन होने पर उनके लिए 50 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान मैंने किया था। अब मैं, गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी प्रारम्भ से ही इस कोविड सहायता का लाभ दिये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही अधिकाधिक पत्रकारों को, उनके लिए संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से पत्रकारों को अधिस्वीकृत करने के नियमों का सरलीकरण कर और व्यापक coverage किया जाना प्रस्तावित करता हूं।

131. अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा जन घोषणा पत्र में किये वायदों और बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, उससे आमजन के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों में भी विश्वास और अपेक्षाएं बढ़ी हैं। मुझे माननीय विधायकगणों के माध्यम से आधारभूत संरचना सम्बन्धी विभिन्न कार्यों सहित प्रशासनिक व शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के

(श्री अशोक गहलोत)

प्रस्ताव भी अत्यधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। पूर्व की भान्ति ही इन प्रस्तावित कार्यों का सम्बन्धित विभागों से परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कृषि बजट:

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पहली बार कृषि बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं, आपकी अनुमति से 'समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच' के साथ पहला कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस बजट को प्रस्तुत करते समय मुझे हरित क्रान्ति के अगुआ डाक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का यह कथन याद आ रहा है- "If the agriculture goes wrong, nothing else will have chance to go right in the country." अर्थात् 'अगर देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र में भी प्रगति सम्भव नहीं है।'

132. किसान हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। आज भी सम्पूर्ण देश की भांति प्रदेश की लगभग दो-तिहाई जनता की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं कृषि आधारित अन्य गतिविधियां यथा-उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन आदि हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ओर नजर डालें तो GSDP का लगभग 30 प्रतिशत कृषि तथा सम्बन्धित गतिविधियों से आता है तथा इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कृषि पर लगभग 85 लाख परिवारों का जीवनयापन निर्भर है।

133. हमारी सरकार हमेशा से ही किसान हितैषी रही है और हमारा मुख्य ध्येय रहा है कि कृषकों की आय एवं आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी हो सके। हमारा लक्ष्य किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए आगामी 5 वर्षों में राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है। पिछले बजट में कृषक कल्याण कोष के अन्तर्गत मैंने 2 हजार करोड़ रुपये की 'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना' की घोषणा की थी। अब मैं, इसी कड़ी में किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए इस योजना को वृहद् रूप देते हुए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस योजना के अन्तर्गत कृषि व इससे सम्बन्धित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए Mission Mode पर कार्य किया जाना प्रस्तावित कर रहा हूं। ये 11 Mission हैं-

Mission-1: राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

(Rajasthan Micro Irrigation Mission):

आगामी वर्ष में लगभग 2 हजार 700 करोड़ रुपये की राशि से 'राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन' शुरू करना प्रस्तावित किया जा रहा है। इससे 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस मिशन के अन्तर्गत आगामी 3 वर्षों में-

I. Drip/Sprinkler से सिंचाई व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को एक हजार 705 करोड़ रुपये एवं 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में सिंचाई पाइप लाइन बिछाने हेतु 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

II. फार्म पौण्ड निर्माण के लिए 45 हजार कृषकों को 375 करोड़ रुपये, डिग्गियों के निर्माण के लिए 15 हजार किसानों को 450 करोड़ रुपये तथा 300 सामुदायिक जल स्रोतों के लिए 60 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

III. Micro Irrigation से सम्बन्धित research एवं training की व्यवस्था के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 5-5 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence for Micro Irrigation स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

Mission-2: राजस्थान जैविक खेती मिशन

(Rajasthan Organic Farming Mission):

आम जन के बेहतर स्वास्थ्य एवं कृषकों का प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रुझान को ध्यान में देखते हुए, मेरे द्वारा वर्ष 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की गयी थी। इसी कड़ी में अब 'मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन' शुरू किया जाना प्रस्तावित है। आगामी 3 वर्षों में इससे लगभग 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मिशन के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं। इसके तहत-

I. कृषकों को जैविक (Organic) बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध करवाते हुए जैविक खेती हेतु 3 लाख 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि की जायेगी।

II. जैविक खेती का पूरा लाभ कृषकों को तभी मिल सकता है, जब उनके उत्पाद मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रमाणित हों। इस दृष्टि से Organic Commodity Board का गठन किया जाकर संभाग स्तरीय प्रमाणीकरण Labs स्थापित की जायेगी। इस हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

Mission-3: राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन

(Rajasthan Seed Production and Distribution Mission):

बीज उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लघु एवं सीमान्त कृषकों को नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन' प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस मिशन के तहत-

I. बीज स्वावलम्बन योजना के आकार को दोगुना कर आगामी 2 वर्षों में 50 हजार किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। इस हेतु 30 करोड़ रुपये व्यय कर 9 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन करवाया जायेगा।

II. 12 लाख लघु/सीमान्त कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनी किट नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस प्रकार इस पर 78 करोड़ रुपये व्यय होंगे। ये बीज मिनी किट हैं-

- 8 लाख कृषकों को संकर मक्का के,
- 2 लाख कृषकों को मूंग, मोठ उड़द के तथा
- 2 लाख कृषकों को सरसों बीज के मिनी किट उपलब्ध करवाये जायेंगे।

III. 3 लाख पशुपालक कृषकों को हरा चारा यथा- ज्वार, बाजरा, रिजका, बरसीम एवं जई के बीज के मिनी किट उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 9 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

Mission-4: राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन

(Rajasthan Millets Promotion Mission):

प्रदेश में मिलेट्स, यथा बाजरा, ज्वार व छोटे अनाजों (Coarse

Grains) आदि की खेती को प्रोत्साहित करने एवं राज्य को Millet Hub के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन' शुरू करना प्रस्तावित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत आगामी वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जायेगा-

I. 10 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को 25 करोड़ रुपये व्यय कर उन्नत किस्मों के बीज नि:शुल्क एवं 2 लाख किसानों को Micro Nutrients व Bio Pesticide Kit अनुदानित दर पर 20 करोड़ रुपये व्यय कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

II. Millets की प्रथम 100 Processing Units की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

III. बाजरा व अन्य मिलेट्स के संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence for Millets की स्थापना की जायेगी।

Mission-5: राजस्थान संरक्षित खेती मिशन

(Rajasthan Protected Cultivation Mission);

संरक्षित खेती (Protected Cultivation) हेतु आधुनिक तौर-तरीके एवं तकनीक को अपनाये जाने तथा गैर-मौसमी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 'राजस्थान संरक्षित खेती मिशन' प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगामी 2 वर्षों में 25 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/शैडनेट हाउस/लो टनल की स्थापना हेतु लगभग 400 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा। पहले चरण में, आगामी वर्ष में 10 हजार किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी।

Mission-6: राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन

(Rajasthan Horticulture Development Mission):

फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीजीय मसालों एवं औषधीय फसलों के उत्पादन हेतु क्षेत्र विस्तार के लिए 'राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन' प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 15 हजार किसानों को लाभान्वित करने हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत से आगामी 2 वर्षों में-

(श्री अशोक गहलोत)

I. 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे विकसित करने के लिए 10 हजार किसानों को अनुदान दिया जायेगा। साथ ही वर्तमान सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

II. मसाला फसलों का 3 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में और विस्तार करवाया जायेगा तथा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार किया जायेगा। इससे लगभग 5 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

Mission-7: राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन

(Rajasthan Crop Protection Mission):

नील गाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम हेतु 'राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन' शुरू किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत-

I. आगामी 2 वर्षों में एक करोड़ 25 लाख मीटर तारबन्दी पर 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाकर 35 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

II. तारबन्दी योजना में 3 किसानों को एक Unit मानने की शर्त को समाप्त कर Individual किसान को लाभ देने व न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा को 1.5 हैक्टेयर करने की घोषणा करता हूं।

Mission-8: राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन

(Rajasthan Land Fertility Mission):

लवणीय (Saline) व क्षारीय (Alkaline) भूमि में सुधार तथा हरी खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरकता बढ़ाने हेतु 'राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन' शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इससे आगामी 2 वर्षों में लगभग 2 लाख 25 हजार किसान लाभान्वित होंगे। इसके तहत-

I. जिप्सम के प्रयोग से 22 हजार हैक्टेयर क्षारीय भूमि का 11 करोड़ रुपये की लागत से सुधार किया जायेगा। इससे 25 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

II. हरी खाद (Green Manure) उत्पादन हेतु 2 लाख किसानों को ढैंचा बीज के मिनी किट भी नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 14 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

Mission-9: राजस्थान कृषि श्रमिक सम्बल मिशन

(Rajasthan Agricultural Labourers Empowerment Mission):

कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए 'राजस्थान कृषि श्रमिक सम्बल मिशन' शुरू किया जाना प्रस्तावित है, इसके अन्तर्गत कृषि कार्यों में लगे हुए Landless Labourers हेतु-

I. वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 हजार रुपये प्रति परिवार अनुदान दिये जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

II. आगामी 2 वर्षों में एक लाख श्रमिकों की Skill and Capacity Building हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Mission-10: राजस्थान कृषि तकनीक मिशन

(Rajasthan Agri-Tech Mission):

कृषि उत्पादन में वृद्धि, आदान लागत में कमी तथा कम समय में अधिक कार्य करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि यंत्रीकरण (Farm Mechanization) को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए 'राजस्थान कृषि तकनीक मिशन' प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि से आगामी 2 वर्षों में-

I. 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

II. कृषकों को महंगे यंत्र-उपकरण यथा-ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटोवेटर, रीपर, सीड ड्रिल आदि उपलब्ध कराने की दृष्टि से GSS/FPO के माध्यम से एक हजार 500 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 150 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

III. पौध रसायनों के समुचित उपयोग, निगरानी, कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों व टिड्डी नियंत्रण में ड्रोन तकनीक के उपयोग हेतु आगामी वर्ष में कृषक उत्पादन संगठन (FPO) तथा कस्टम हायरिंग केन्द्रों को एक हजार ड्रोन उपलब्ध कराये जायेंगे। इस पर 40 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

IV. किसान कॉल सेंटर एवं किसान साथी पोर्टल को वृहद् रूप देते हुए 50 करोड़ रुपये की लागत से IT/Mobile App आधारित Integrated Farmer Support System लागू किया जायेगा।

(श्री अशोक गहलोत)

Mission-11: राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन

(Rjasthan Food Processing Mission):

राज्य में कृषि जिन्सों के बढ़ते हुए उत्पादन, मूल्य संवर्द्धन व निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए 'राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन' प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत-

I. लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां; अनार के लिए बाड़मेर एवं जालौर; सन्तरे के लिए झालावाड़ एवं भीलवाड़ा; टमाटर व आंवले के लिए जयपुर एवं सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में Processing Units को 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक) का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर सम्भाग में जीरा व ईसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 करोड़ रुपये की सहायता दी जायेगी।

II. मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए 5 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही, भरतपुर में 7 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से Centre of Excellence for Apiculture की स्थापना की जायेगी एवं शहद के गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल लैब भी संचालित की जायेगी। इसके अतिरिक्त श्रीगंगानगर जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।

किसानों के लिए बिजली:

134. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में-

I. एक लाख किसानों को सोलर पम्प स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

II. साथ ही, SC व ST वर्ग के कृषकों को 45 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। इससे SC/ST के लगभग 50 हजार कृषक लाभान्वित होंगे। इस हेतु 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

135. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 3 वर्षों में 2 लाख 48 हजार 269 कृषि विद्युत कनेक्शन दिये हैं, जबकि पिछली सरकार द्वारा 5 साल के कार्यकाल में मात्र 2 लाख 68 हजार 552 विद्युत कनेक्शन ही दिये गये थे।

(श्री अशोक गहलोत)

किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं विद्युत कनेक्शन आवेदनों की 31 दिसम्बर, 2012 से चली आ रही 9 वर्ष से अधिक की pendency, लगभग 3 लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन आवेदन खतम करने की दृष्टि से कल 22 फरवरी, 2022 (22-02-2022) तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन दो वर्षों में जारी करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 6 हजार 700 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

136. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान साथियों को रात में सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए मैंने इस वर्ष से 16 जिलों में 2 बारी में दिन में ही बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायी थी। मुझे इस बात का एहसास है कि कृषकों को रात में सिंचाई करने, विशेषकर सर्दियों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं शेष 17 जिलों में भी आगामी एक वर्ष में ही दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं।

कृषि ऋण:

137. अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा वर्ष 2012-13 में शुरू की गयी ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना से किसानों को आशातीत लाभ हुआ है। मैं, आगामी वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 20 हजार करोड़ रुपये की राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 5 लाख नये कृषकों को सम्मिलित किये जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 650 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) पर व्यय किये जायेंगे।

138. ग्रामीण क्षेत्रों में कई कृषक परिवार, कृषि एवं पशुपालन के साथ-साथ Non-Farm Activities यथा- हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि पर भी आजीविका के लिए निर्भर हैं। आगामी वर्ष, अकृषि क्षेत्र में भी एक लाख परिवारों को 2 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किये जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिया जायेगा।

सिंचाई विकास:

139. अध्यक्ष महोदय, राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु मैं, Rajasthan Irrigation Restructuring Programme प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इसके

अन्तर्गत आगामी 3 वर्षों में लगभग 14 हजार 860 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-

I. प्रदेश के 12 जिलों में काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 550 करोड़ रुपये की सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर लगभग 12 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित किया जायेगा। ये परियोजनाएं मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

(कृपया परिशिष्ट '5' देखें)

II. जल अपव्यय को रोकने व दक्षता सुधार हेतु विभिन्न जिलों में स्थित लगभग 100 बांधों तथा 100 नहरी तंत्रों का चिह्नीकरण कर 800 करोड़ रुपये व्यय कर जीर्णोद्धार किया जाकर सिंचित दक्षता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

III. विभिन्न जिलों में भूजल पुनर्भरण हेतु लगभग 100 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर/एनिकट के निर्माण व जीर्णोद्धार के कार्य 600 करोड़ रुपये लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है।

IV. बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र/वितरिकाओं के 545 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण व जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जाने की घोषणा करता हूं।

V. घाटोल-बांसवाड़ा में खमेरा नहर प्रणाली में लघु सिंचाई योजना प्रथम से चतुर्थ की फव्वारा (Sprinkler) सिंचाई पद्धति आधारित वितरण प्रणाली का 100 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाया जायेगा।

VI. चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमन्द, भीलवाड़ा, उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों में स्थित सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार के कार्य 200 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

VII. पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2018 में नवीन कृषि सिंचित क्षेत्र सृजित किये जाने हेतु माही परियोजना से 'अपर हाई लेवल नहर' के निर्माण की घोषणा की गयी थी, किन्तु कार्य को प्रारम्भ ही नहीं किया गया। मैं आदिवासी अंचल के विकास से सम्बन्धित इस परियोजना में 121 अतिरिक्त गांवों को भी कमांड क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए 2 हजार 500 करोड़ रुपये लागत से बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं बागीदौरा के कुल 338 गांवों के 41 हजार 903 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं।

VIII. माही बेसिन के अधिशेष जल से पीपलखूंट तहसील-प्रतापगढ़ के अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 'पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल' का 2 चरणों में निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इस पर 2 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इससे 5 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

IX. गंगनहर प्रणाली के 1 लाख 20 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में एक हजार 153 करोड़ रुपये की लागत से नहर एवं मोघों में पानी वितरण एवं नियंत्रण हेतु आटोमेशन का कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूं।

X. भीखा भाई सागवाड़ा नहर-बांसवाड़ा की लघु सिंचाई योजना सप्तम्, अष्टम् एवं नवम् लघु वितरिकाओं के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही दसवीं एवं ग्यारहवीं वितरण प्रणाली की DPR बनायी जायेगी।

XI. हरिदेव जोशी नहर तंत्र-बांसवाड़ा का लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से रखरखाव एवं जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जायेगा।

140. अध्यक्ष महोदय, फेमस ERCP, पिछली सरकार के वक्त में योजना का प्रारूप बनाया गया था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) प्रदेश के 13 जिलों- झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक के लिए पेयजल के साथ-साथ सिंचाई की भी अति महत्वपूर्ण परियोजना है। मैं, विपक्ष के साथियों को पुन: याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने जयपुर एवं अजमेर में 07 जुलाई, 2018 एवं 06 अक्टूबर, 2018 को आयोजित रैलियों में ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था, किन्तु उसे अभी तक निभाया नहीं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रधान मंत्री जी और जल शक्ति मंत्री को पत्र से भी आग्रह किया है एवं भविष्य में भी हम निरन्तर केन्द्र सरकार से अनुरोध करते रहेंगे। साथ ही, मैं सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ERCP का 13 जिलों के लिए महत्व को देखते हुए हम अपने संसाधनों से इस परियोजना पर कार्य जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी के अन्तर्गत आगामी वर्ष नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज एवं रामगढ़ बैराज के 9 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत के काम हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही मैं, इस परियोजना का कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से कराने की दृष्टि से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम (ERCP Corporation) के गठन की घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

141. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग एक हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं सिंचाई सम्बन्धी अन्य कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूं। प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

I. जैसलमेर क्षेत्र में, जहां पर पक्के खाले नष्ट हो चुके हैं, वहां लगभग एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 600 करोड़ रुपये की लागत से स्प्रिंकलर से सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी।

II. गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर (फलौदी लिफ्ट) के 10 हजार हैक्टेयर एवं नेता वितरिका के शेष रहे क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की लागत से फव्वारा (Sprinkler) सिंचाई सुविधा विकसित की जायेगी।

III. लिफ्ट परियोजनाओं- साहवा, गजनेर, कोलायत में शेष रही लगभग 400 डिग्गियों का 300 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

IV. कंवरसेन लिफ्ट का 200 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार करवाया जायेगा।

V. चारणवाला शाखा की नहरों का चरणबद्ध रूप से 102 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार करवाया जायेगा। इससे बीकानेर व जैसलमेर जिले का 97 हजार हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।

VI. IGNP की सभी लिफ्ट परियोजनाओं में पुरानी मोटर/पम्पों की विद्युत दक्षता बढ़ाने के साथ समुचित रखरखाव व संचालन हेतु 200 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण व आधुनिकीकरण किया जायेगा।

VII. सिद्धमुख नहर के 10 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत एवं जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

VIII. भादरा, नोहर तथा तारानगर के कुल 30 बारानी गांवों के लिए सिद्धमुख नहर व साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए Technical Assessment/सर्वे एवं Viability हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनायी जायेगी।

IX. Indira Gandhi Canal Project के अन्तर्गत जल संरक्षण व जल के optimal use को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वहां के कृषकों को प्रोत्साहन देकर Micro Irrigation से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस हेतु किसान के खेत के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत या अधिकतम एक हैक्टेयर तक ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर ड्रिप/स्प्रिंकलर पर 50 प्रतिशत तक

Subsidy दी जानी प्रस्तावित है। इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

142. चम्बल कमांड क्षेत्र- कोटा, बूंदी व बारां के सिंचित क्षेत्र की दक्षता सुधार हेतु ड्रेनेज सिस्टम के जीर्णोद्धार, विभिन्न नहरों, वितरिकाओं व ब्रांच कैनालों में पक्की लाइनिंग के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इस पर 483 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

143. वर्ष 2021-22 में पहली बार राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में लगभग 23 किलोमीटर लम्बाई में री-लाइनिंग के कार्य कराये गये थे। साथ ही, सरहिन्द फीडर के 80 किलोमीटर लम्बाई में री-लाइनिंग करवायी गयी थी। अब मैं, वर्ष 2022-23 में राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर तथा सरहिन्द फीडर की 15 किलोमीटर लम्बाई में री-लाइनिंग के कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूं। इस पर 425 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

144. फिरोजपुर फीडर (श्रीगंगानगर) की मरम्मत हेतु 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

145. मैं, वर्ष 2022-23 में मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना (Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area-RWSRPD) में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से इन्दिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर के 68 किलोमीटर लम्बाई में तथा वितरिकाओं/ माइनरों के लगभग 227 किलोमीटर लम्बाई में जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करता हूं।

146. वर्षा जल के संग्रहण एवं उसके समुचित उपयोग से गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए राजीव गांधी जल संजय योजना-द्वितीय चरण के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में 2 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से 352 पंचायत समितियों के लगभग 4 हजार 500 गांवों में 20 लाख हैक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण व संरक्षण (Water Harvesting & Conservation) सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

कृषि भण्डारण व विपणन:

अध्यक्ष महोदय, देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि - "मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे।"

राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए खेती की गुणवत्ता व कृषि उत्पादकता के साथ-साथ भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जाना एवं विपणन प्रणाली बेहतर किया जाना अति आवश्यक है।

147. आगामी वर्ष में करावन (पचपहाड़)-झालावाड़, मांडल-भीलवाड़ा, खटौटी (नदबई)-भरतपुर सहित कोटा, सोनवा-टोंक, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर तथा उदयपुर जिलों में 220 करोड़ रुपये की लागत से मिनी फूड पार्क बनाये जायेंगे। साथ ही, चैनपुरा (निवाई)-टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनाया जायेगा।

148. राज्य के कृषि उत्पादों यथा ईसबगोल, जीरा, धनिया एवं फल-सब्जी इत्यादि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए pesticide residue testing and analysis हेतु 12 करोड़ रुपये की लागत से कोटा व जोधपुर में Phyto-sanitary Labs की स्थापना की जायेगी। साथ ही, टोंक में Bio Pesticide व Bio Agents Integrated Lab स्थापित की जायेगी।

149. कृषकों के फसल उत्पाद को भण्डारित करने की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में Cold Storage, Warehouse एवं 100 गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम व कार्यालयों का 87 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, 5 हजार किसानों को कम लागत की प्याज भण्डारण संरचनाओं (Storage Structure) के निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

150. गौण मण्डी प्रांगण चांदन-जैसलमेर, लोहावट, हाऊ, देचूं-जोधपुर, पूगल-बीकानेर, हिण्डौली-बूंदी, समराणिया, नाहरगढ़-बारां, रावतभाटा-चित्तौड़गढ़ तथा तूंगा-जयपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी।

151. बीकमपुर (कोलायत)-बीकानेर, चामूं (शेरगढ़)-जोधपुर, मण्डरायल (सपोटरा)-करौली में गौण मण्डी, गौण मण्डी सायला-जालौर में अनार मण्डी, भोपालगढ़-जोधपुर एवं रेवदर-सिरोही में कृषि मण्डी की स्थापना की जायेगी। साथ ही, बिलाड़ा-जोधपुर की कृषि मण्डी को सौंफ जिन्स की विशिष्ट मण्डी घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

संस्थागत विकास एवं सुदृढ़ीकरण:

152. ग्राम सहकारी समितियों (GSS) की किसानों को मिनी बैंक के

साथ-साथ कृषि आदान (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक आदि) सुविधा उपलब्ध कराने में भी महती भूमिका है। वर्तमान में राज्य में गठित 7 हजार 133 GSS के माध्यम से लगभग 67 लाख किसान इनके सदस्य के रूप में लाभान्वित हो रहे हैं। अब मैं, आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 4 हजार 171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही, प्रदेश के कोने-कोने से छोटे किसान भी सहकारी संस्थाओं से जुड़ सकें, इस दृष्टि से ग्राम सहकारी समिति हेतु निर्धारित अंशदान को 5 लाख रुपये से कम कर 3 लाख तथा न्यूनतम सदस्यों की संख्या को 500 से कम कर 300 किया जाना प्रस्तावित है।

153. कृषि क्षेत्र में अनुसन्धान के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास की आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न कदम उठाये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं:-

I. मुण्डावर-अलवर, केकड़ी-अजमेर, बाड़मेर, पोकरण-जैसलमेर, नोहर, जोगीवाला (भादरा)-हनुमानगढ़, डीडवाना, नावां-नागौर, केशवाणा (सायला)-जालौर, मण्डावा, चिड़ावा-झुंझुनूं, ओसियां-जोधपुर, पहाड़ी (कामां)-भरतपुर, खेड़लाबुजुर्ग (महवा)-दौसा, करौली, टोडाभीम-करौली, प्रतापगढ़ तथा खेरवाड़ा-उदयपुर में कृषि महाविद्यालय (Agriculture College) खोले जायेंगे।

II. देवली (उनियारा)-टोंक में कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जायेगा।

III. नाथद्वारा-राजसमन्द में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जायेगा।

डेयरी एवं पशुपालन:

154. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अधिक से अधिक गांवों को सहकारी डेयरी से जोड़ने, रोजगार के अवसर सृजित करने, पशुपालकों की आय बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त दूध व दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में-

I. 2 हजार 500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जायेगा।

II. 500 से अधिक गांवों को जोड़ते हुए 51 नवीन milk routes चालू किये जायेंगे।

III. 5 हजार डेयरी बूथ खोले जायेंगे, जिसमें से एक हजार डेयरी बूथ महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को आबंटित किये जायेंगे।

IV. राजसमंद जिले में 30 करोड़ रुपये की लागत से Milk Processing Plant की स्थापना की जायेगी।

V. जैसलमेर जिला दुग्ध संघ के Processing Plant का 10 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

155. प्रदेश में राज्य पशु 'ऊंट' के पालन, संरक्षण तथा समग्र विकास हेतु 'ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति' लागू किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

156. हमने ग्रामीणों/कृषक साथियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की दृष्टि से ब्लॉक स्तर पर 1 करोड़ 57 लाख रुपये प्रति नंदी शाला उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। मेरे समक्ष Pre-Budget Consultation के समय किसानों द्वारा इनका coverage बढ़ाने की मांग रखी गयी। मैं, स्वयंसेवी संस्थाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि वे इस महत्वपूर्ण एवं पुनीत कार्य के लिए आगे आयें। आगामी वर्ष से जिन ग्राम पंचायतों में गोशाला/पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम NGO उपलब्ध होंगे, वहां प्राथमिकता से हर ग्राम पंचायत में 1-1 करोड़ रुपये तक की राशि से गोशाला स्थापित की जायेंगी। इस प्रकार हमारी इच्छा है कि चरणबद्ध रूप से समस्त ग्राम पंचायतों पर पशु आश्रय स्थल स्थापित हो सकें।

157. प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए-

I. मलसीसर (मण्डावा)-झुंझुनूं में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जायेगा।

II. राजकीय पशु चिकित्सालय, चाकसू-जयपुर तथा कुचामनसिटी-नागौर को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

III. नागोला (भिनाय)-अजमेर, दुलचासर (डूंगरगढ़)-बीकानेर, भानपुर कलां (जमवारामगढ़)-जयपुर, खुडियाला (शेरगढ़), पंडितजी की ढाणी (ओसियां)-जोधपुर, जावला (परबतसर), रोल (जायल), तौषीणा (डीडवाना), महाराजपुरा (नावां)-नागौर तथा बगड़ी नगर (सोजत), खैरवा (सुमेरपुर), जोजावर (मारवाड़ जंक्शन)-पाली के पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

IV. झालाटाला (लक्ष्मणगढ़)-अलवर, नोवी (सुमेरपुर), जैतपुर (रोहट)-पाली, कैथरी (सैपऊ)-धौलपुर, नीमला-जयपुर, कायमसर (फतेहपुर)-सीकर तथा

रासला (फतेहगढ़)-जैसलमेर पशु चिकित्सा उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

V. पगारा (पीसांगन)-अजमेर, जगपुरा (बदनौर)-भीलवाड़ा, बिशनपुरा-दौसा, सुजानगढ़-चूरू, आवलहेड़ा, गोपालपुरा (बेगूं)-चित्तौड़गढ़, कोलीवाड़ा (जमवारामगढ़)-जयपुर, चेण्डा, खिमाड़ा, बामनेरा (सुमेरपुर)-पाली, बाहला (पोकरण), कोलूतला-जैसलमेर, अल बख्स का बाग़ (लक्ष्मणगढ़)-अलवर, गारिंडा (फतेहपुर)-सीकर तथा देवीखेड़ा (देवली), चन्दवाड़ (दूनी)-टोंक में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जायेंगे।

VI. वर्तमान में पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में Block Veterinary Health Office (BVHO) एवं प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशालाओं (Primary Disease Diagnosis Labs) की स्थापना की जायेगी।

VII. साथ ही, प्रदेश की 3 हजार पशु चिकित्सा संस्थाओं में 15 करोड़ की लागत से मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य करवाये जायेंगे।

158. आगामी वर्ष में पशु बीमा का लाभ देते हुए लगभग 6 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

159. पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिनियम बनाते हुए Regulatory Authority का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, पशु आहार की गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक जिले में Testing Lab स्थापित की जायेगी।

160. अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 01 अप्रैल, 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन करने वालों को दुग्ध अनुदान हेतु मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना प्रारम्भ की गयी थी। सम्भवतया यह देश में प्रथम पहल थी। पिछली सरकार द्वारा इसको बंद कर दिया गया, जिससे पशुपालकों में निराशा की भावना पैदा हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार बनते ही मेरे द्वारा 01 फरवरी, 2019 से पुन: इस योजना को शुरू किया गया है। अब मैं, अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत दूध पर देय अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किये जाने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को 550 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो सकेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

161. इस कृषि बजट के माध्यम से हमारा प्रयास है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के नये आयाम स्थापित करने के साथ ही किसान भाइयों को भी संबल मिल सके।

162. अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा माननीय सदन के समक्ष वर्ष 2022-23 के लिए आज प्रस्तुत यह बजट है-

"राजस्थान के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए।

बेटियों और मांओं के सपनों की ऊंची उड़ान के लिए।

स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए।

सभी प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत के लिए।

नौजवानों को सक्षम बना उनकी हसरतों को पूरा करने के लिए।

गरीब/मध्यम वर्ग के घरों में खुशियां लाने के लिए।

गांवों का हाल बदलने के लिए।

शहरों की रफ्तार बदलने के लिए।

विज्ञान और अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए।

हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की के लिए।"

163. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट के अंतर्गत प्रदेश के हर वर्ग, जाति तथा धर्म के लोगों की आशा के अनुरूप भविष्य की योजनाएं तैयार करने का प्रयास किया गया। मैं, सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के साथ ही हर प्रदेशवासी की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

कर प्रस्ताव

164. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

165. गत बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थिति के दृष्टिगत कोई नया कर नहीं लगाने का निर्णय लेते हुए लगभग 900 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की थी। साथ ही हमने जनवरी, 2021 के उपरान्त पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले VAT की दरों में क्रमशः 6 रुपये एवं 7 रुपये प्रति लीटर कमी करके प्रदेश की जनता को कोविड के समय महंगाई में राहत दी है। इससे राज्य के राजस्व पर 6 हजार करोड़ रुपये वार्षिक का

(श्री अशोक गहलोत)

अतिरिक्त भार पड़ेगा। यद्यपि देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है, किन्तु अभी भी यह नहीं माना जा सकता है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी पर आ चुकी है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए इस बजट में सभी वर्गों के लिये राहत देने का प्रयास किया है।

166. राजस्थान अपनी संस्कृति, मेहमाननवाजी तथा पर्यटन के कारण देश-विदेश में अनूठी पहचान रखता है। पर्यटन, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने में भी अग्रणी है, किन्तु कोविड का सबसे विपरीत प्रभाव पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा है।

वर्षों से पर्यटन क्षेत्र की ओर से इसे उद्योग का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। वर्ष 1989 से अब तक कई तरह की घोषणाएं की गयी हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया। मुझे खुशी है कि पर्यटन के क्षेत्र में आज का दिन याद रखा जायेगा। अत: अब मैं, इस क्षेत्र को सम्बल प्रदान करने के दृष्टिकोण से Tourism एवं Hospitality Sector को "Industry Sector" के रूप में पूर्ण मान्यता देने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1981-82 में जब मैं मंत्री बना था, डिप्टी मिनिस्टर इन्दिरा गांधी जी के साथ में, तब से मांग उठाते आ रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं इस क्षेत्र को सम्बल प्रदान करने के दृष्टिकोण से Tourism एवं Hospitality Sector को "Industry Sector" के रूप में पूर्ण मान्यता देने की घोषणा करता हूं। अब इससे भविष्य में इस क्षेत्र पर Industrial Norms के अनुसार ही Government Tariffs व Levies देय होंगे। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

167. इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, अन्य उद्योगों तथा व्यवसाय के समस्त क्षेत्रों (Sectors) को कोविड के संकट से उबरने में सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से-

(i) RIPS-2010 एवं RIPS-2014 का लाभ ले रही इकाइयां, जिनके लाभ लेने की अवधि 31 मार्च, 2022 तक शेष है, ऐसी इकाइयों के लाभ लेने की अवधि को, मैं 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा करता हूं।

(ii) Rajasthan MSME (Facilitation of Establishment and Operation) Act-2019 के अंतर्गत MSME उद्यमियों को सम्बल प्रदान करने

हेतु उद्यमों को 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के लिये स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त किये जाने की घोषणा करता हूं।

(iii) राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कृषि भूमि को श्वेत (White) श्रेणी के सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों/ उद्यमों के लिए भूमि रूपान्तरण शुल्क में सम्पूर्ण छूट दिए जाने की घोषणा करता हूं।

(iv) होटल तथा ट्यूर आपरेटर्स को समय-समय पर जमा SGST का पुनर्भरण किया गया था। अब मैं, जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक की अवधि में जमा कराये गये SGST के 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण करने की घोषणा करता हूं।

(v) RIICO द्वारा अपने औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत Service Charge बढ़ाया जाता है। उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 में यह वृद्धि नहीं की जायेगी।

(vi) कोविड महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-23 के लिये DLC दरों में होने वाली 10 प्रतिशत की स्वत: वृद्धि को कम कर मात्र 5 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूं।

(vii) मीडिया प्रतिष्ठानों को राज्य सरकार द्वारा आबंटित भूमि पर निर्मित भवन को sub-let किये जाने की वर्तमान सीमा को built-up area का 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूं।

168. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमने अपने अन्नदाता के महत्व को रेखांकित करते हुए राज्य का प्रथम कृषि बजट सदन में प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर मुझे किसानों के सम्बन्ध में U.S.A. के पूर्व President Thomas Jefferson का यह कथन याद आ रहा है-

"If the farmer is rich, then so is the Nation." अर्थात् - 'किसान समृद्ध है तो देश भी धनवान है।'

169. इसी भावना के साथ कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से-

(i) कृषि आधारित MSME इकाइयों की स्थापना/विस्तार (expansion) हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत Interest Subsidy को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

(ii) मंडी शुल्क/आबंटन शुल्क आदि की **"ब्याज माफी योजना-2019"** सफल रही है। अब इस योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2022 तक करना प्रस्तावित करता हूं।

(iii) इसी तरह ''राज्य के बाहर से आयातित कृषि प्रसंस्करण (Agriculture Processing) परियोजनार्थ कृषि जिन्स एवं चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना'' के तहत बकाया राशि जमा कराने की अवधि बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2022 करना प्रस्तावित है।

(iv) मण्डी प्रांगणों में वर्ष 2010 से पूर्व के व्यापारियों के लम्बित प्रार्थना पत्रों का आरक्षित दर पर भूखण्ड आबंटन किये जाने की घोषणा करता हूं।

(v) राज्य के मण्डी प्रांगणों में आबंटित भूखण्डों पर निर्माण की अवधि बिना शास्ति 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाने की घोषणा करता हूं।

(vi) बजट वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा इस बजट में घोषित नवीन मण्डियों एवं मिनी फूडपार्क के लिये सरकारी भूमि का नि:शुल्क आबंटन किया जायेगा।

(vii) 31 मार्च, 2022 तक देय कृषक कल्याण शुल्क में छूट को अब एक वर्ष और बढ़ाना प्रस्तावित करता हूं।

(viii) गैर अधिसूचित (Non-Notified) कृषि जिन्सों एवं खाद्य पदार्थों पर मण्डी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने के स्थान पर मात्र 0.50 प्रतिशत यूजर चार्जेज लिया जाकर मण्डी में व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

170. कोविड की परिस्थितियों के कारण राज्य के उद्यमियों एवं प्रदेशवासियों को बकाया वसूल योग्य राशि में छूट देकर गत बजट में VAT, Stamps, Excise, Motor Vehicle आदि Acts के अन्तर्गत Amnesty योजना लायी गयी थी, जिसका सभी वर्गों ने स्वागत किया था। आगामी वर्ष में नयी Amnesty योजनाओं के माध्यम से और अधिक छूट दिया जाना प्रस्तावित है -

(i) VAT Amnesty: मेरे द्वारा गत वर्ष Repealed Acts-Sales Tax, Vat, Entry Tax इत्यादि से सम्बन्धित एमनेस्टी स्कीम-2021 लायी जाकर 2 लाख से अधिक व्यवहारियों को राहत प्रदान की गई थी, जिससे

(श्री अशोक गहलोत)
लगभग 500 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ। अब मैं **एमनेस्टी स्कीम-2022** लाये जाने की घोषणा करता हूं, जिसमें-

(a) 30 जून, 2017 से पहले की मांग राशि के समाधान हेतु एक पक्षीय (ex-parte) अथवा सर्वोत्तम विवेक से (Best Judgement) पारित कर निर्धारण आदेशों को री-ओपन (Re-open) करने का प्रावधान किया जायेगा।

(b) पूर्व में पारित किये गये आदेशों में Suo-Moto संशोधन (Rectification) किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि से सम्बन्धित बाधा को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

(c) ऐसे व्यवहारियों जिनकी कोई ज्ञात चल एवं अचल सम्पत्ति नहीं है, सम्बन्धित मांग राशि के write off करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा। इस हेतु अधिकारियों के क्षेत्राधिकार (Pecuniary Limit) का पुनर्निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

(d) ऐसी फर्मे जिनके द्वारा किसी माल की खरीद एवं बिक्री नहीं की गई है, उनके संदर्भ में सृजित की गयी मांगों को समाप्त किये जाने हेतु निश्चित प्रक्रिया बनाई जायेगी।

(e) बकाया घोषणा पत्रों (Declaration Form) को प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा 30 जून, 2022 तक बढ़ाई जायेगी।

(f) आगत कर (Input Tax) सत्यापन को सरल किया जायेगा।

(g) राज्य के सरकारी विभागों, निगमों-उपक्रमों इत्यादि के विरुद्ध सृजित की गई मांगों के साथ-साथ भारत सरकार के रक्षा विभाग की विभिन्न इकाइयों के विरुद्ध चल रही मांग राशि को समाप्त किये जाने की घोषणा करता हूं।

(h) इस योजना के तहत नकद वसूली को प्रोत्साहित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दिया जाना प्रस्तावित है। GST लागू होने के पश्चात् 6 प्रकार की वस्तुएं (Goods) ही वर्तमान में Vat Act के तहत कर योग्य हैं। इनके सम्बन्ध में बकाया चल रही मांगों के निस्तारण हेतु भी पृथक से एमनेस्टी स्कीम-2022 लाया जाना प्रस्तावित है।

(ii) अध्यक्ष महोदय, **Stamp Duty:** आगामी वर्ष से **स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना-2022** लागू किये जाने की घोषणा करता हूं, जिसकी अवधि 30 सितम्बर, 2022 तक होगी। इस योजना में ब्याज एवं पैनल्टी में शत-

प्रतिशत छूट के साथ बकाया स्टाम्प ड्यूटी में भी 50 प्रतिशत तक छूट दी जानी प्रस्तावित है।

साथ ही साथ ही आडिट या निरीक्षण में किसी दस्तावेज में निकाली गई बकाया स्टाम्प ड्यूटी, प्रथम डिमाण्ड नोटिस की दिनांक से एक माह की अवधि में जमा कराने पर पक्षकारों को एक Permanent Amnesty के रूप में ब्याज एवं पैनल्टी की पूर्ण छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) **Motor Vehicle Act:** वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Transport Amnesty Scheme-2022 लाया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस योजना की अवधि 30 सितम्बर, 2022 तक होगी, इसमें -

(a) खान विभाग के ई-रवन्ना पोर्टल पर ओवरलोड वाहनों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 2021 तक कारित अपराधों के प्रशमन (Compounding) हेतु Amnesty योजना लायी जायेगी।
(b) मोटर वाहनों पर 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया कर जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में छूट दी जायेगी।
(c) बकाया राशि जमा होने पर, नष्ट हो चुके वाहनों का नष्ट होने की तिथि के पश्चात् देय कर, ब्याज एवं शास्ति में छूट दी जायेगी।

(iv) **Excise:** अधिक व्यवहारियों को छूट प्रदान करने के लिये आगामी वर्ष में **आबकारी एमनेस्टी योजना-2022** लाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना की अवधि 30 सितम्बर, 2022 तक होगी -

(a) 31 मार्च, 2021 तक के सभी बकाया प्रकरणों में ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी; तथा
(b) 31 मार्च, 2014 तक के समस्त बकाया प्रकरणों में श्रेणीवार मूल राशि में भी आंशिक छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

(v) **RIICO:** RIICO क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिये **एमनेस्टी योजना-2022** लाई जायेगी जो 30 सितम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत -

(a) सेवा शुल्क एवं किराये (Service Charge & Economic Rent) की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट;
(b) आबंटित भूखंड पर निर्माण प्रारम्भ करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार (Retention Charge)/अतिरिक्त भूमि लागत की 75 प्रतिशत छूट;

(श्री अशोक गहलोत)

(c) भूखण्ड/उप विभाजित भूखण्ड के हस्तान्तरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी;

(d) बकाया जल प्रभार एवं बकाया सीईटीपी चार्जेज एकमुश्त जमा कराने पर पैनल्टी/ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है;

(e) औद्योगिक भूखण्ड पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण किये जाने हेतु निर्धारित समय सीमा को बिना शास्ति के बढ़ाया जायेगा; तथा

(f) 30 जून, 2021 तक भूमि प्रीमियम की बकाया (outstanding) किश्तों को जमा कराने पर देय ब्याज राशि में 50 प्रतिशत छूट दी जानी प्रस्तावित है।

(vi) **उपनिवेशन क्षेत्र**: उपनिवेशन क्षेत्र के लगभग 15 हजार काश्तकारों को कृषि भूमि आबंटन की बकाया किश्तों पर 01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 की अवधि में -

(a) 31 दिसम्बर, 2022 तक की शेष रही बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जानी प्रस्तावित है; एवं

(b) आबंटन की समस्त बकाया किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में भी 10 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज में शत प्रतिशत छूट देना प्रस्तावित है।

(vii) **खनन सम्बन्धी:** खनन पट्टाधारियों, क्वारी लाइसेंस धारकों एवं रायल्टी ठेकेदारों को 31 मार्च, 2021 तक के समस्त लगभग 1800 बकाया प्रकरणों हेतु एमनेस्टी योजना के माध्यम से राहत दी जायेगी। साथ ही इस योजना में प्रथम बार अवैध खनन परिवहन एवं निर्गमन के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

(viii) **सतर्कता जांच प्रतिवेदन (VCR):** वर्तमान में बड़ी संख्या में विद्युत वितरण कम्पनियों में लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदन (VCR) में बकाया करोड़ों रुपये की राशि को देखते हुए इनके अन्तिम निस्तारण हेतु एमनेस्टी योजना लाया जाना प्रस्तावित है, इसमें -

(a) 31 दिसम्बर, 2021 या उससे पूर्व के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के निस्तारण हेतु 1 लाख रुपये तक की सिविल लायबिलिटी राशि होने पर इस राशि का 50 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन (compounding) राशि लेकर अंतिम निस्तारण किया जायेगा।

(b) यदि सिविल लायबिलिटी राशि 1 लाख रुपये से अधिक है तो 1 लाख रुपये तक की राशि का 50 प्रतिशत एवं 1 लाख रुपये से अधिक राशि का 10 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण प्रशमन (compounding) राशि लेकर अंतिम निस्तारण किया जायेगा।

(c) यह राशि 6 मासिक किश्तों में बिना ब्याज के जमा कराई जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक आवेदन किये जा सकेंगे।

171. जिन इकाइयों ने RIPS-2003, RIPS-2010 एवं RIPS-2014 में कस्टमाइज्ड पैकेज लेकर पात्रता प्रमाण पत्र (Entitlement Certificate) के अनुसार लाभ प्राप्त किया है, ऐसी इकाइयों ने यदि RIPS-2019 की परिचालन अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया है या किया जायेगा, तो उन्हें 400 करोड़ रुपये का निवेश तथा 200 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की शर्त पर RIPS-2019 का लाभ दिये जाने की घोषणा करता हूं।

172. जिन इकाइयों की SGST देयता नहीं बनती, उनको निवेश अनुदान का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी इकाइयों के लिये RIPS-2019 में SGST पुनर्भरण के विकल्प के रूप में पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

173. वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु जैव व हरित क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों के कारण कुछ नवोदित विनिर्माण क्षेत्रों (Sunrise Sectors) यथा-

राजस्थान के पचपदरा, जिला बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स काम्प्लेक्स 800 हैक्टेयर में प्रस्तावित PCPIR (Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region) क्षेत्र में केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स;

इलैट्रॉनिक्स;

मेडिकल डिवाइसेज;

बल्क ड्रग्स;

Rare Earth Elements से संबंधित विनिर्माण; तथा

ग्रीन हाइड्रोजन

को RIPS-2019 के अन्तर्गत Thrust Sector में जोड़कर अतिरिक्त परिलाभ दिये जाने की घोषणा करता हूं।

174. Inland Container Depot (ICD) में ऐसी पात्र इकाइयां जिनके पास न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का निवेश तथा 10 एकड़ भूमि क्षेत्र उपलब्ध हो उन्हें RIPS-2019 के सेवा क्षेत्र की पात्र गतिविधियों तथा थ्रस्ट सेक्टर (Thrust Sector) में सम्मिलित करते हुए लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

175. RIPS-2019 के अन्तर्गत Thrust Sector - Gems & Jewellery के विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमों को देय पूंजी निवेश अनुदान (Capital Subsidy) की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किये जाने की घोषणा करता हूं।

176. टोक्यो पैरा ओलम्पिक में राज्य के 4 खिलाड़ियों अवनी लखेरा, देवेन्द्र झाझड़िया, सुन्दर सिंह तथा कृष्णा नागर द्वारा 5 मैडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया गया है। राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने हेतु आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिये निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

इस दृष्टि से, मैं निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली स्पोर्ट्स एकेडमी को RIPS-2019 में पात्र सेवा क्षेत्र में सम्मिलित करने व उपकरणों के क्रय पर 1 करोड़ रुपये तक का पूंजी अनुदान (Capital Subsidy) दिये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही RIPS-2019 के अन्तर्गत स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर में दिये जाने वाले पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

177. राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने व रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से नये निवेश को प्रदेश में लाने के लिये हमारे द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए खुशी है कि Invest Rajasthan-2022 के अन्तर्गत किये जा रहे MoU (Memorandum of Understanding LOI) को धरातल पर लाने हेतु समस्त औपचारिकताएं पूरी कर शिलान्यास आदि का कार्य भी करवाया जा रहा है। अब तक राज्य में-

(i) 10 लाख 41 हजार करोड़ रुपये के कुल 4 हजार 16 MoU

(Memorandum of Understanding) एवं LoI (Letter of Intent) हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। जिससे राज्य में 4 लाख 90 हजार रोजगार सम्भावित हैं।

(ii) राज्य में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 7 लाख 98 हजार करोड़ रुपये की राशि के 92 MoU/LoI हस्ताक्षर हुए हैं। जिससे राज्य में 2 लाख 20 हजार रोजगार सम्भावित हैं।

178. राज्य में निवेश को उत्तरोत्तर बढ़ाने की दृष्टि से RIPS-2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए अब मैं, Rajasthan Investment Promotion Scheme-2022 (RIPS-2022) लाये जाने की घोषणा करता हूं। विभिन्न राज्यों के मुकाबले राजस्थान को competitive Destination के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से RIPS-2022 में निवेश के अनुकूल (Investment Friendly) प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है जो इस प्रकार है-

(i) वर्तमान में देय SGST के पुनर्भरण के विकल्प के रूप में पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) का प्रावधान किया जायेगा;

(ii) हमने राज्य में प्रथम बार एथेनोल पालिसी में उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) का प्रावधान किया है। जिसे अन्य चयनित सैक्टर्स पर लागू किया जायेगा;

(III) वर्तमान में ऐसी इकाइयां जिनको पूर्ववर्ती RIPS योजना के लाभ मिल रहे हैं, उनको नयी RIPS योजना आ जाने के पश्चात् शेष समयावधि के लिये नयी RIPS योजना के प्रावधानों का लाभ अथवा विकल्प नहीं मिल पाता है, ऐसी इकाइयों के लिये चयनित सैक्टर्स/कस्टमाइज पैकेज हेतु कार्यकाल आधारित प्रोत्साहन प्रणाली (Tenure Based Incentives System) लागू की जायेगी,

(iv) RIPS योजनाओं के अन्तर्गत देय लाभों को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दृष्टि से Auto Disbursal प्रणाली लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिससे निवेशकों को विभिन्न विभागों में चक्कर लगाने की समस्या से निजात मिलेगी;

(iv) स्टाम्प ड्यूटी की 100 प्रतिशत छूट की सीमा को यथावत रखते हुए प्रारम्भ में 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी जायेगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर पात्र औद्योगिक इकाई को जमा की गई 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का पुनर्भरण किया जायेगा।

179. हमारे द्वारा लाई गई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MSME क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दृष्टि से सम्पूर्ण देश में अपनी तरह की अनूठी योजना है। छोटे व्यवसायी जो उद्योग स्थापित करने में रुचि रखते हैं, उनमें इस योजना से नये उत्साह का संचार हुआ है। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों की समस्या मेरे ध्यान में लाई गई है।

इसके समाधान हेतु 27 अगस्त, 2021 को जारी संशोधन से पूर्व बैंकों से स्वीकृत तथा जिला उद्योग केन्द्रों में सूचना प्राप्त प्रकरणों को एक बारीय छूट देते हुए योजना का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य की लगभग 1000 इकाइयों, जिन्होंने ऋण प्राप्त कर लिया था किन्तु संशोधित प्रावधानों के कारण पात्रता पूरी नहीं कर पा रही थीं, वे अब योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

10 लाख तक के ऋण लेने वाले छोटे निवेशकर्ताओं को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिये जाने की दृष्टि से योजना के अन्य प्रावधान यथा सावधि ऋण व कार्यशील पूंजी के मध्य अनुपात रखा जाना तथा वित्तीय संस्थान से ऋण वितरण पश्चात् 90 दिवस की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किये जाने आदि शर्तों को विलोपित कर, MSME को बढ़ावा दिया जायेगा।

इस प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को वृहद रूप देने के लिये आगामी वर्ष में ब्याज अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

180. जैसा कि आपको विदित है कि आज मैंने पर्यटन को उद्योग (Industry) का दर्जा देने की घोषणा की है, इसी क्रम में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये Rajasthan Rural Tourism Scheme लायी जानी प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत पात्र इकाइयों को-

i. स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। प्रारम्भ में 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होगी, Tourism इकाई शुरू होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जायेगा।

ii. देय एवं जमा SGST का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जायेगा, तथा

iii. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

181. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिये उद्योगों द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु निष्पादित दस्तावेजों एवं ऋण समनुदेशन (Debt Assignment) के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपये से घटाकर 15 लाख रुपये करना प्रस्तावित है।

182. राज्य में सर्वांगीण औद्योगिक विकास के साथ-साथ वंचित वर्ग की भागीदारी भी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार कटिबद्ध है। वर्तमान में दलित, आदिवासी, साथ ही अल्प आय वर्ग के लोगों का औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नगण्य है, ये हमारे लिये एक चुनौती है। हम चाहते हैं कि वंचित वर्ग यथा दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अल्प-संख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से भी लोग अपना उद्योग स्थापित कर आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें।

इस दृष्टि से गत बजट में मैंने, RIPS-2019 के अन्तर्गत 'डा. भीमराव अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज' के तहत अतिरिक्त लाभ दिये थे। कोरोना की परिस्थिति के कारण यह वर्ग पैकेज का पूर्ण लाभ नहीं ले पाया। अत: इसे आगे बढ़ाते हुए 'डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022' की घोषणा करता हूं। जिसके तहत 9 प्रकार की राहत दी जायेंगी-

(i) वंचित वर्गों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिये सक्षम बनाने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये की राशि से Incubation cum Training Centre स्थापित किया जायेगा। यह केन्द्र Confederation of Indian Industry (CII)/Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) के सहयोग से संचालित किया जायेगा;

(ii) साथ ही इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे चयनित उद्योगों में RIICO / Rajasthan Venture Capital Fund (RVCF) की 10 प्रतिशत भागीदारी अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति इकाई किये जाने के विकल्प का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है। यह एक अभिनव पहल है, जिससे इस वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाया जा सके। इस प्रकार की Partnership से उन्हें तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा;

(iii) RIICO औद्योगिक क्षेत्रों में निर्धारित 2000 वर्गमीटर को

(श्री अशोक गहलोत)

बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर तक के भूखण्ड तथा आबंटन में निर्धारित 5 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा;

(iv) भूमि आबंटन की देय राशि की किश्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट दी जायेगी;

(v) भू-रूपान्तरण शुल्क में 75 प्रतिशत रियायत दी जायेगी;

(vi) जमीन खरीद, लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट जिसमें प्रारम्भ में 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की छूट तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का पुनर्भरण किया जायेगा;

(vii) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा;

(viii) मार्जिन मनी 25 प्रतिशत और अधिकतम 25 लाख रुपये तक अनुदान दिया जायेगा; तथा

(ix) 100 प्रतिशत SGST पुनर्भरण 7 साल के लिये किया जायेगा।

183. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी सभी वर्गों का ध्यान रखा है। जैसा कि अमेरिका के प्रख्यात चिकित्सक एवं फिलोस्फर ऑलिवर वैन्डल होल्मस सीनियर ने कहा था -

'अपने पैसे पर भरोसा मत करो
बल्कि अपने पैसे को भरोसे में रखो'

इस मौके पर माननीय सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने कुशल वित्तीय प्रबन्धन से कराधान की प्रक्रिया के सरलीकरण व विभिन्न क्षेत्रों को राहत का सिलसिला जारी रखेंगे।

184. कम्पनियों के Merger एवं Demerger के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा को तर्कसंगत करते हुए 200 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

185. Limited Liability Partnership (LLP) तथा Partnership Firms की एक समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए LLP के गठन (Constitution), विघटन (Winding up) एवं भागीदारों के रिटायरमेंट से सम्बन्धित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी Partnership Firms के मामलों में निष्पादित दस्तावेजों के समान किया जाना प्रस्तावित है।

186. राज्य में व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार एक वाणिज्यिक संरचना (Partnership Firm, Proprietorship Firm आदि) से दूसरी वाणिज्यिक संरचना में परिवर्तन कराने पर दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क को घटाकर अधिकतम दस हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

187. वर्तमान में 100 वर्ष पुरानी सम्पत्तियों को हैरिटेज मानते हुए स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी जा रही है। अब राजस्थान ट्यूरिज्म पालिसी, 2015 के अनुसार 01 जनवरी, 1950 से पूर्व निर्मित सम्पत्तियों में संचालित होटल्स को हैरिटेज होटल्स की श्रेणी में मानते हुए स्टाम्प ड्यूटी की रियायत प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

188. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट, कैम्पनिंग साइट, एम्यूजमेन्ट पार्क, एनिमल सफारी पार्क आदि प्रयोजनों की भूमि का मूल्यांकन वाणिज्यिक दरों के स्थान पर कृषि दरों के समान किया जायेगा। साथ ही, Convention Centre/सामुदायिक भवन प्रयोजनार्थ भूमियों का मूल्यांकन शहरों में आवासीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि दरों के बराबर किया जाना प्रस्तावित है।

189. लोक (Public) नीलामी के माध्यम से विक्रय की गयी सम्पत्तियों के मूल्यांकन के मामलों में अनावश्यक Litigation को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसी सम्पत्तियों का मूल्यांकन नीलामी राशि पर तथा साथ ही सरकार एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आबंटित सम्पत्तियों का मूल्यांकन भी आबंटन राशि पर ही किया जाना प्रस्तावित है।

190. वेयरहाउस प्रयोजनार्थ भूमियों की DLC दरें वाणिज्यिक से घटाकर औद्योगिक दरों के समान तथा कृषि आधारित उद्योगों की भूमियों की DLC दरें कृषि की दो गुणा से घटाकर डेढ़ गुणा के बराबर किया जाना प्रस्तावित है।

191. रीको क्षेत्रों में स्थित वेयरहाउस प्रयोजनार्थ भूमियों का आबंटन वर्तमान में औद्योगिक दरों के डेढ़ गुणा पर किया जाता है। इसको घटाकर औद्योगिक दरों के समान किये जाने की घोषणा करता हूं।

192. रियल एस्टेट सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला

उद्योग है। बड़े क्षेत्रफल के Projects की लागत को कम करके इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के मूल्यांकन (DLC) में निम्नानुसार रियायत दिया जाना प्रस्तावित है :-

(i) 1 हजार वर्गमीटर से 2 हजार वर्गमीटर तक - 5 प्रतिशत;

(ii) 2 हजार वर्गमीटर से अधिक किन्तु 3 हजार वर्गमीटर तक - 10 प्रतिशत; तथा

(iii) 3 हजार वर्गमीटर से अधिक - 15 प्रतिशत।

193. गत बजट में मल्टीस्टोरी भवनों में 50 लाख रुपये तक के फ्लेट्स की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट दी गयी थी। आम जनता की मांग पर इस छूट को मैं, एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक किये जाने की घोषणा करता हूं।

194. बहुमंजिला भवनों में आवासीय इकाइयों के पुन: विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में पहले ही रियायत प्रदान की हुई है। इसी तर्ज पर शेष सम्पत्तियों के मामलों में भी एक बार विक्रय होने के बाद 1 वर्ष, 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष के भीतर पुन: विक्रय किया जाता है, तो पश्चातवर्ती विक्रय के दस्तावेज पर प्रथम विक्रय के समय भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी की राशि के क्रमश: 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत के बराबर राशि की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

195. जनता को राहत देने के लिये राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अनुरूप संशोधन किया जाकर रिवीजन के लिये निर्धारित समय सीमा के बाद भी रिवीजन स्वीकार करने की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।

196. कर परामर्शदात्री समिति (Tax Advisory Committee) में बजट पूर्व चर्चा के दौरान खनिज व्यवसायियों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए, जिन अप्रधान खनिजों (Minor Minerals) के खनन पट्टों/ क्वारी लाइसेंसों की अवधि 31 मार्च, 2025 तक समाप्त हो रही है, उन्हें निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2040 तक बढ़ाने की घोषणा करता हूं।

197. वैज्ञानिक और सुरक्षित खनन को बढ़ावा देने की दृष्टि से खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज (Minor Minerals) खनन पट्टा जारी करने की 4 हैक्टेयर की अधिकतम सीमा को हटाने की घोषणा करता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

198. अप्रधान खनिज (Minor Minerals) के खनन पट्टों/क्वारी लाइसेन्स के समीप उपलब्ध भूमि में से एक निश्चित क्षेत्रफल तक निर्धारित प्रीमियम के भुगतान पर खनन पट्टा/लाइसेन्सधारी को आबंटित करने हेतु प्रस्तावित करता हूं।

199. खनन पट्टों का संविदा निष्पादन (Lease Agreement Execution) बिना पर्यावरण अनुमति के किया जाना प्रस्तावित कर रहा हूं, परन्तु खनन कार्य पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अनुमत हो सकेगा।

200. अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के हस्तान्तरण पर लिये जाने वाले प्रीमियम के सम्बन्ध में डेड रेन्ट/लाइसेन्स फीस के 10 गुना व अधिकतम 10 लाख रुपये के प्रीमियम के स्थान पर 5 गुणा व अधिकतम 5 लाख रुपये प्रीमियम लिया जाना प्रस्तावित है।

201. पट्टाधारियों द्वारा अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के सम्बन्ध में मासिक ऑनलाइन रिटर्न के स्थान पर त्रैमासिक रिटर्न की व्यवस्था करना प्रस्तावित करता हूं।

202. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु CNG चलित नये वाहनों को बढ़ावा देने हेतु मोटर वाहन कर में 50% की छूट है। अब यह छूट CNG Kit Retrofitment कराये जाने वाले वाहनों पर भी देय होगी।

203. विगत वर्ष संभागीय क्षेत्र के संविदा परमिट (Contract Carriage Permit) जारी करने का प्रावधान किया जाकर आल राजस्थान परमिट की तुलना में मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी थी। इस छूट को बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

204. स्टेज कैरिज बसों के लिए माह अप्रैल से फरवरी तक नियमित रूप से मोटर वाहन कर जमा कराने पर वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह मार्च में देय मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

205. वर्तमान में R.C. Surrender की अधिकतम अवधि 90 दिवस है, जिसे बढ़ाकर एक कैलेण्डर वर्ष में 180 दिवस किया जाना प्रस्तावित है।

206. उद्योग संचालन को सुगम करने हेतु रीको क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से निरस्त भूखण्डों के बहालीकरण तथा वसूल किये जाने वाले शुल्क को भविष्य में तर्कसंगत बनाने के लिये एक नीति बनायी जायेगी।

207. रीको क्षेत्रों में भूखण्ड आबंटन ई-नीलामी के जरिये किया जाता

है। अब, कुछ विशिष्ठ श्रेणी के उद्योग यथा Sunrise Sectors के तहत Anchor Investors, RIPS के अन्तर्गत Customized Package के पात्र निवेशक एवं स्थानीय छोटे निवेशक आदि को विशेष जोन चिह्नित करते हुए सीधे आबंटन का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है।

208. गत वर्ष छोटे करदाताओं को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य में माल परिवहन हेतु e-way bill की अनिवार्यता सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख की गयी थी।

इसी क्रम में, करदाताओं को व्यापार करने में सुविधा हेतु कतिपय वस्तुओं को छोड़कर अन्य माल के शहर के भीतर परिवहन पर 2 लाख रुपये सीमा तक e-way bill की अनिवार्यता समाप्त करना प्रस्तावित करता हूं।

209. अधिकांश राज्यों के द्वारा लाटरी को बन्द कर दिया गया है, परन्तु Online Games का जाल बिछा हुआ है। आज युवाओं एवं बच्चों में Online Games का प्रचलन बढ़ रहा है। 'Online Betting' को तो न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित किया हुआ है, किन्तु Online Skill Based Games पर प्रतिबन्ध नहीं है। अभी अनेक Online Games बिना किसी नियंत्रण व Scrutiny के चल रहे हैं। इनको नियंत्रित तथा Regulate करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में Online Skill Based Games/Fantasy Games को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है।

210. वर्ष 2021-22 में नैतिक, धार्मिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से मद्यसंयम हेतु ''स्वर्गीय श्री गुरूशरण छाबड़ा जनजागरूकता अभियान' चलाने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यह जनजागरूकता लाने का कार्य तभी सफल होगा जब सरकार के साथ-साथ इसमें सामाजिक संगठन, NGOs एवं Civil Society साथ में मिलकर कार्य करें। इसके लिए मैं, इस सोच वाले सभी सामाजिक संगठनों को आगे आकर सरकार के साथ जुड़ने का आह्वान करना चाहूंगा। अब मैं, आगामी वर्ष के लिये इस राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

211. राजस्व अर्जन करने वाले विभिन्न विभागों के सुदृढ़ीकरण हेतु आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन संबंधी उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, इसके लिये-

(i) दस्तावेजों के पंजीयन की व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी से पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी में मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय खोले जायेंगे;

(ii) पूर्णकालीन उप-पंजीयक कार्यालयों में पक्षकारों एवं आम जनता की सुविधाओं हेतु प्रति कार्यालय 10 लाख रुपये की राशि आबंटित की जायेगी तथा 11 उप पंजीयक एवं 2 उपमहानिरीक्षक कार्यालय भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण किया जायेगा;

(iii) प्रदेश के करदाताओं को वाणिज्यिक कर मुख्यालय पर Facilitation की समुचित सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से 100 करोड़ रुपये से Tax Facilitation and Support Centre स्थापित किया जाना प्रस्तावित करता हूं;

(iv) राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा एवं राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा पदों का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है;

(v) आबकारी थानों में सिपाहियों के 400 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती की जायेगी तथा राजस्थान स्टेट ब्रेवरेजेज कार्पोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 25 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना प्रस्तावित है; तथा

(vi) जयपुर मुख्यालय पर परिवहन विभाग से संबंधित कार्य की अधिकता को देखते हुए एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। विभाग को Enforcement गतिविधियों एवं कुशलता बढ़ाने हेतु 50 वाहन उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित है।

212. माननीय सदन को स्मरण होगा कि गत बजट प्रस्तुत करते समय SSIPS (Social Security Investment Promotion Scheme) के रूप में हमारी सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जरूरतमंद वर्गों के उत्थान हेतु कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की अभिनव पहल की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में निम्नानुसार राहत दी जायेगी-

(i) राज्य में नजूल सम्पत्तियों पर वर्ष 2000 से पूर्व काबिज अल्प आय वर्ग के रिहायशी कब्जेधारियों द्वारा प्रचलित DLC अथवा आरक्षित दर, जो भी कम हो, की 25 प्रतिशत राशि एकमुश्त जमा कराने पर इन सम्पत्तियों के स्वामित्व हस्तान्तरण के सम्बन्ध में नियमों में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित करता हूं;

(ii) कृषि भूमियों एवं उस पर आवासीय मकानों के विक्रय की स्थिति में कुएं एवं ट्यूबवैल का वर्तमान में मूल्यांकन जोड़कर स्टाम्प ड्यूटी व

पंजीयन शुल्क लिया जाता है। ऐसे में कुएं एवं ट्यूबवैल के मूल्य पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में पूर्णत: छूट देने की घोषणा करता हूं;

(iii) दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उनके द्वारा क्रय किये जाने वाले वाहनों पर छूट दिया जाना प्रस्तावित है, इसके तहत-

(a) दिव्यांगजन, जो पैर से अशक्त है, को Automatic Transmission वाले 10 लाख रुपये तक के चार पहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में शत प्रतिशत छूट दी जायेगी; एवं

(b) दिव्यांगजन के उपयोग में लिये जाने वाले Adapted/Retrofitted दुपहिया/तिपहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट दी जायेगी;

(iv) मध्यम एवं निम्न आय वर्ग का स्वयं के आवास का सपना पूरा करने हेतु 100 वर्गगज तक के रिक्त या निर्मित आवासीय भूखण्डों पर स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट दिये जाने की घोषणा करता हूं;

(v) साथ ही आमजन को स्वयं का कारोबार स्थापित करने हेतु 50 वर्गगज तक के रिक्त या निर्मित वाणिज्यिक भूखण्डों पर भी स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देना प्रस्तावित है;

(vi) वर्तमान में पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग के मामले में 10 लाख रुपये तक स्टाम्प ड्यूटी 5 सौ रुपये तथा उससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति पर 5 हजार रुपये है। अब, मैं 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की पैतृक सम्पत्ति पर भी स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 5 सौ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

(vii) गत बजट में मैंने पुत्र वधू के पक्ष में Gift Deed पर स्टाम्प ड्यूटी 2.5 प्रतिशत से घटाकर पुत्रियों के समान 1 प्रतिशत एवं अधिकतम 1 लाख रुपये की थी तथा पोता-पोती, दोहिता-दोहिती के पक्ष में निष्पादित Gift Deed पर स्टाम्प ड्यूटी पूर्णतया माफ की थी। अब मैं पुत्री एवं पुत्र वधू के पक्ष में Gift Deed के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को पूर्णतया माफ करने की घोषणा करता हूं;

(viii) इसी प्रकार मैंने सरकार में आते ही, मार्च 2019 में पत्नी के पक्ष में Gift Deed के दस्तावेजों पर 31 मार्च, 2022 तक स्टाम्प ड्यूटी माफ की थी। इस छूट को अब मैं, स्थायी रूप से देने की घोषणा करता हूं;

(ix) राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों द्वारा अचल सम्पत्ति के क्रय के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5

प्रतिशत करने तथा पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं;

(x) वर्तमान में छोटे परिवार तथा देश-विदेश में रोजगार के अच्छे अवसरों के कारण संतानें अपने माता-पिता की सार-संभाल के लिये उपलब्ध नहीं हो पाती है। कतिपय मामलों में वृद्धजनों के आर्थिक संसाधन भी कम हो जाते हैं। ऐसे वृद्धजनों को बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा अचल सम्पत्ति को मोर्गेज (Mortgage) रखकर ऋण की सुविधा दी जाती है। इस हेतु निष्पादित रिवर्स मोर्गेज के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देकर वृद्धजनों को राहत देने की घोषणा करता हूं;

(xi) शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विद्यार्थियों द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने की घोषणा करता हूं।

213. मुझे अहसास है कि कोविड के कारण सभी वर्गों को Hardship हुई है। अत: उपरोक्त कर प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि इस कोरोना-काल में लगभग 1500 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की जा रही है।

214. इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियम के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

215. इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनार्थ इसके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

216. अब मैं, वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं :-

1. राजस्व प्राप्तियां	1 लाख 89 हजार 431 करोड़ 48 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय	2 लाख 25 हजार 120 करोड़ 84 लाख रुपये
3. राजस्व घाटा	35 हजार 689 करोड़ 36 लाख रुपये
4. पूंजी खाते में प्राप्तियां	1 लाख 29 हजार 697 करोड़ 20 लाख रुपये
5. पूंजी खाते में व्यय	93 हजार 973 करोड़ 41 लाख रुपये
6. पूंजी खाते में आधिक्य	35 हजार 723 करोड़ 79 लाख रुपये

(श्री अशोक गहलोत)

7. कुल व्यय (बजट साइज) (मार्गोपाय अग्रिम रहित)	3 लाख 19 हजार 94 करोड़ 25 लाख रुपये
8. कुल व्यय (बजट साइज) (मार्गोपाय अग्रिम रहित)	2 लाख 71 हजार 881 करोड़ 42 लाख रुपये

217. वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1. राजस्व प्राप्तियां	2 लाख 14 हजार 977 करोड़ 23 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय	2 लाख 38 हजार 465 करोड़ 79 लाख रुपये
3. राजस्व घाटा	23 हजार 488 करोड़ 56 लाख रुपये
4. पूंजी खाते में प्राप्तियां	1 लाख 31 हजार 324 करोड़ 99 लाख रुपये
5. पूंजी खाते में व्यय	1 लाख 7 हजार 717 करोड़ 4 लाख रुपये
6. पूंजी खाते में आधिक्य	23 हजार 607 करोड़ 95 लाख रुपये
7. कुल व्यय (बजट साइज) (मार्गोपाय अग्रिम रहित)	3 लाख 46 हजार 182 करोड़ 83 लाख रुपये
8. कुल व्यय (बजट साइज) (मार्गोपाय अग्रिम रहित)	2 लाख 94 हजार 182 करोड़ 83 लाख रुपये

218. जैसा कि माननीय सदन को विदित होगा, केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से जल जीवन मिशन का केन्द्रीयांश राज्य के Consolidated Fund में ना दिया जाकर सीधे कार्यकारी संस्था के Bank Account में दिया जा रहा है। यद्यपि हमने माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री को अन्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की भांति जल जीवन मिशन (JJM) का केन्द्रीयांश राज्य सरकार को ही Consolidated Fund में Release करने का आग्रह किया था, किन्तु उनके द्वारा हमारे इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया। इस कारण वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान में तथा वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त होने वाली हिस्सा राशि शामिल नहीं है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान में 2 हजार 345 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये कम दर्शित हो रहे हैं।

कृषि बजट:

219. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के लिये आज मेरे द्वारा प्रदेश का प्रथम कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट के अन्तर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु Budgetary and Extra Budgetary प्रावधानों का योजनावार एवं Budget मदवार विस्तृत विवरण नये बजट खण्ड 4 (द) में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

220. इस कृषि बजट के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में समेकित निधि, राज्य की स्वायत्तशाषी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि रुपये 78 हजार 938 करोड़ 68 लाख का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। यह राशि राज्य के राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.92 प्रतिशत है। यह राशि वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.68 प्रतिशत अधिक है। कुल कृषि बजट में से राशि रुपये 46 हजार 145 करोड़ 20 लाख समेकित निधि से व्यय की जायेगी, जो कि राज्य के बजट (मार्गोपाय अग्रिम रहित), रुपये 2 लाख 94 हजार 182 करोड़ 83 लाख का 15.69 प्रतिशत है।

राजस्व घाटा

221. अध्यक्ष महोदय, कोविड की दूसरी लहर अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक एवं तीसरी लहर दिसम्बर, 2021 से फरवरी, 2022 तक प्रभावी होने के कारण विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर पाबंदियां रहीं, जिससे वर्ष 2021-22 के साथ-साथ वर्ष 2022-23 की राजस्व प्राप्तियों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

हमारे द्वारा कोविड-19 की परिस्थिति में राजस्व प्राप्तियों में कमी के बाद भी पैट्रोल/डीजल पर VAT सहित अन्य करों में छूट देते हुए आमजन को 7 हजार करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक की राहत का प्रावधान किया गया है। साथ ही केन्द्र से प्रदेश को प्राप्त होने वाली राशि में वर्ष 2021-22 में लगभग एक हजार करोड़ रुपये तथा वर्ष 2022-23 में लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की कमी सम्भावित है।

अत: वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में राशि रुपये 23 हजार 488 करोड़ 56 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।

राजकोषीय घाटा:

222. कोविड-19 के कारण सभी स्तरों पर अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 4 प्रतिशत (ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु 0.5 प्रतिशत सहित) निर्धारित की गई है। इसके अलावा वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में किये गये प्रावधान के अनुसरण में पूंजीगत कार्यों के लिये केन्द्र सरकार से लगभग रुपये 5 हजार करोड़ का ऋण प्राप्त होना संभावित है। इस प्रकार आगामी वर्ष राज्य की कुल ऋण सीमा जीएसडीपी का 4.37 प्रतिशत है।

223. मैं, माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने राज्य स्तर पर विद्युत क्षेत्र में निष्पादन (Performance) सम्बन्धी कतिपय मानकों को पूरा करने पर वर्ष 2021-22 से 2024-25 के मध्य 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण अनुमत करने की दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनमें राजकीय विद्युत वितरण कम्पनियों (DISCOMs) का घाटा वर्ष 2025-26 तक चरणबद्ध रूप से Takeover करना भी शामिल है। इस कारण वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर आना अनुमानित है।

224. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राशि रुपये 58 हजार 211 करोड़ 55 लाख अनुमानित किया गया है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.36 प्रतिशत है, एवं यह अनुमत सीमा 4.37 प्रतिशत से कम है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें से 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सीमा की राशि लगभग रुपये 6 हजार करोड़ को कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से आम जनता को राहत प्रदान करने के लिये उपयोग में लिया जायेगा। अत: इस राशि को राजकोषीय घाटे से कम करने पर प्रभावी राजकोषीय घाटा (कोविड-19 रहित) राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत से कम रहना सम्भावित है।

225. मैं, वर्ष 2022-23 का वार्षिक वित्तीय विवरण, सभा पटल पर रख रहा हूं। साथ ही, FRBM Act की धारा 5 के अन्तर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (Medium Term Fiscal Policy Statement) और राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण (Fiscal Policy Strategy Statement) भी सदन के पटल पर रख रहा हूं। अन्य बजट-पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

226. मुझे विश्वास है कि हम विषम परिस्थितियों एवं चुनौतियों के बाद भी कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ प्रदेश को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने वाले इस बजट को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं।

"न थके अभी पैर, न थके अभी पैर। अभी भी नहीं थके हैं, वैसे भी नहीं थकेंगे। न थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, न अभी हिम्मत हारी है।"

आप लोग कुछ तो दाद दो, क्या चुपचाप बैठे हो। क्या चुपचाप बैठे हो। मजा ही नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो, कुछ तो कमेंट करो, कभी-कभी तो। पता नहीं क्या बात है? जब आज वसुन्धरा जी आईं तो आप लोग सब चुप बैठ गए वरना तो यहां हंसी मजाक होती थी, पहले भी होती थी, ऐसी क्या बात है? आज तो आप सब लोग, बिलकुल डिसीप्लीन में हो। आपको मान गए। लेडीज का रुतबा तो आखिर होता ही होता है, देखो।

"न थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिन्दगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिन्दगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है।"

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इरशाद, इरशाद।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 का उपस्थापन करेंगे तथा उसे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आय-व्ययक 2022-23 को उपस्थापित करता हूं एवं सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान वित्त विधेयक, 2022, माननीय मुख्य मंत्री जी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2022

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है राजस्थान वित्त विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री जी पुर:स्थापित करेंगे। मुख्य मंत्री जी पुर:स्थापित करेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। माननीय मुख्य मंत्री जी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वित्त लेखे (खण्ड-I व खण्ड ।।) (वर्ष 2020-21)

एवं विनियोग लेखे (वर्ष 2020-21)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वित्त लेखे (खण्ड -I व खण्ड ।।) वर्ष 2020-21 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.59 बजे गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी 2022 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

पैरा 71 पर उल्लिखित सड़कों की सूची

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
1	अलवर	• मालाखेड़ा से हल्दीना-नैथला-जातपुरा-मीणापुरा-MIA (अलवर ग्रामीण/रामगढ़) • अजरका-सोडावास-मुण्डावर-बीबीरानी सड़क (मुण्डावर/किशनगढ़बास) • मंडावरा स्टैण्ड से नारायणपुर-थानागाजी-घाटा बांदरोल सड़क (थानागाजी/बानसूर)	108 करोड़ रुपये
2	अजमेर	• केकड़ी-बोगला से टांकावास-घटियाली-कुशायता - पीपलाज जिला सीमा (केकड़ी) • अजमेर-श्रीनगर-अरांई (पुष्कर/नसीराबाद/किशनगढ़) • ब्यावर-रामगढ़-विजयनगर-गुलाबपुरा सड़क (मसूदा)	74 करोड़ 50 लाख रुपये
3	बांसवाड़ा	• सागडुगरी से बोराखांडी अनास नदी पर पुल निर्माण (बागीदौरा) • कोईवाव वाया जहांपुरा मय पुलिया (बुन्दन नदी पर) निर्माण कार्य (बांसवाड़ा) • भोयन-कुशलगढ़ मय पुल निर्माण कार्य (कुशलगढ़)	105 करोड़ रुपये
4.	बारां	• बराना-जलवाड़ा-नाहरगढ़ सड़क पर पार्वती नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण (किशनगंज) • सीसवाली-बारां सड़क (अन्ता) • बमूलिया से नियाना जंक्शन रोड NH-27 (बारां-अटरू)	160 करोड़ 76 लाख रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
5	बाड़मेर	• भाडखा-कानोड़-पाटोदी-बोरानाड़ा-भाग भीमड़ा से बोरानाड़ा (पचपदरा) • भाडखा-कानोड़-पाटोदी-बोरानाड़ा-भाग भाडखा से भीमड़ा (बाड़मेर) • परेऊ से मेघावास वाया जसोड़ों की बेरी-नवात्तला-बड़नावा जागीर-माडपुरा-बागावास सड़क (बायतु)	92 करोड़ 90 लाख रुपये
6	भरतपुर	• रामगढ़ फतेहपुर सीकरी सड़क (स्टेट बोर्डर तक) वाया गोविन्दपुरा-सीकरी-नदबई-वैर-बयाना-रूदावल (वैर/बयाना) • वैर से खानुआ वाया झील का वाडा-कैलादेवी-मिलकपुर-उच्चैन-गहनौली मोड़ (वैर) • झालाटाला (NH-21) से बयाना वाया मूडियासाद-भुसावर-सलेमपुरकलां-तालचिडी-कलसाडा-खरैरी-एत्मादपुर (वैर)	200 करोड़ रुपये
7	भीलवाड़ा	• गुरला-माण्डलगढ़ सड़क (माण्डलगढ़) • भीलवाड़ा-कोटडी-पण्डेर-सावर सड़क (जहाजपुर) • भीण्डर-रामगढ़ वाया फतेहनगर-गंगापुर-रायपुर-करेड़ा (आसीन्द)	93 करोड़ रुपये
8.	बीकानेर	• रणजीतपुरा-ओसियां (कोलायत/नोखा) • बीकानेर झझू-आउ-दासूड़ी (बीकानेर पश्चिम/कोलायत) • MDR-296 कोडमदेसर से सम्मेवाला (खाजूवाला/बीकानेर पश्चिम)	164 करोड़ 10 लाख रुपये
9	बूंदी	• NH-52 (अकलोर)-दबलाना-गुढ़ासदावर्तिया-देई (हिण्डोली) • तालेड़ा-केशवरायपाटन (बूंदी/केशवरायपाटन) • MDR-52 (आर.सी. खेड़ा)-बड़ौदिया-दाता NH-52-हरिपुरा (हिण्डौली)	131 करोड़ रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
10	चित्तौड़गढ़	• रावतभाटा-गांधीसागर सड़क (बेगूं) • गिलुण्ड से भाटीयों का खेड़ा-नवाबपुरा-मोहम्मदपुरा-पेमदिया खेड़ा चरलिया नागथून म.प्र. सीमा (निम्बाहेड़ा) • राशमी-रूद-चन्देरिया सड़क (कपासन, बेगूं, चित्तौड़गढ़)	114 करोड़ 90 लाख रुपये
11.	चूरू	• हरियासर-अमरसर-नोहर सड़क (सरदारशहर/तारानगर) • रतनगढ़-बाढ़ा की ढाणी सड़क (रतनगढ़/ सरदारशहर) • राजगढ़-बहल सड़क जिला सीमा तक (राजगढ़)	68 करोड़ 50 लाख रुपये
12	दौसा	• दौसा-कुण्डल-बांदीकुई-मुण्डावर-कठूमर सड़क (महवा, बांदीकुई) • दौसा (बिगास मोड) से भूसावर वाया अलूदा-पापड़दा-खवारावजी-बैरावण्डा-नाहर खोहरा-टोडाभीम-सांथा (सिकराय) • दौसा शहर की शहरी मुख्य सड़कों का विकास (दौसा)	130 करोड़ रुपये
13	धौलपुर	• बरसला से कठूमरी से सिकरवारों का अड्डा वाया जैतपुर-बाहरीपुरा-चीलपुर (राजाखेड़ा) • धौलपुर राजाखेड़ा सड़क से काटरपुरा उत्तर प्रदेश सीमा तक वाया सौमली का घेर-चौधरी का बाग़-डिरावली (राजाखेड़ा) • जाटोली से कुथियाना (धौलपुर)	34 करोड़ 60 लाख रुपये
14	डूंगरपुर	• उदयपुर-बांसवाड़ा राज्यमार्ग पर माही नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य (लसाडा पुल) (आसपुर) • धरियावद-पीठ सड़क (सागवाड़ा, चौरासी) • सीमलवाड़ा बाईपास निर्माण (चौरासी)	92 करोड़ रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
15	हनुमानगढ़	• तलवाड़ा-हनुमानगढ़ सड़क (हनुमानगढ़/ संगरिया) • नोहर-फेफाना सड़क (नोहर) • फतेहपुर-चूरू-तारानगर-साहवा-नोहर-थालड़का-मुण्डा-हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर सड़क (नोहर, संगरिया, हनुमानगढ़)	64 करोड़ रुपये
16	जयपुर	• पडासोली-साखून-साली-गहलोता-बुहारू (दूदू) • देवन से तिगरिया-निवाणा वाया शाहपुरा-अमरसर-नायन-धानोता (शाहपुरा) • रामकुई तिराहे-महरिया का बास-आईदान का बास-खेड़ी-गोकुलपुरा-अगरपुरा-कालख-हरिपुरा-डेहरा-जोबनेर हाईवे तक (झोटवाड़ा)	90 करोड़ रुपये
17	जैसलमेर	• पोकरण से राजमथाई तक वाया थाट-गुड्डी-दुधिया-जलोड़ पोकरणा (पोकरण) • पोकरण से झिनझिनयाली सत्तो वाया सांकड़ा-भैसंडा-डागंरी-फतेहगढ़ (जैसलमेर) • जैसलमेर समय रोड से 112 आरडी एसबीएस वाया लुद्रवा-रूपसी-बरमसर-देवा-नेहड़ाई (जैसलमुर)	96 करोड़ 50 लाख रुपये
18	जालौर	• नरसाणा से डुगरी वाया झाव-सिवाड़ा-चितलवाना (सांचौर, भीनमाल) • भीनमाल-थोबाऊ-जैलातरा-भादरूणा-मालवाड़ा-मीठी बेरी (भीनमाल, सांचौर) • बरलूट-सियाना-आकोली-नून-बाकरा-रेवतड़ा (आहोर, जालौर)	138 करोड़ रुपये
19	झालावाड़	अकलेरा-मनोहर थाना-महाराजपुर (मनोहर थाना) • श्रीछत्रपुरा से खोद-घटोद-पचपहाड़-भवानीमंडी काल्वा स्थान दुधाखेडी माताजी अपटू मध्य प्रदेश सीमा (डग)	100 करोड़ रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
		• बाघेर-भीमसागर-सारोला सड़क पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य (खानपुर)	
20	झुंझुनूं	• सुलताना-गोवला सड़क (झुंझुनूं) • मण्डावरा से मनसा-माता (उदयपुरवाटी) • पिलानी-सूरजगढ़-बुहाना-पचेरी हरियाणा सीमा तक (सूरजगढ़/पिलानी)	78 करोड़ रुपये
21	जोधपुर	• एम्स से सालावास मय जोजरी नदी पर पुल निर्माण (लूणी) • ओसिया-आऊ-दासौड़ी (ओसियां/लोहावट) • कड़वासरों की ढाणी से खिन्दाखौर वाया रजलानी-नाड़सर-भोपालगढ़-हिरादेसर-खेड़ापा (भोपालगढ़)	171 करोड़ 50 लाख रुपये
22.	करौली	• सूरौठ से लालसर वाया-हिण्डौन-नंगलामीणा-निसूरा-शेखपुरा (हिण्डौन सिटी) • मासलपुर से केशपुरा (करौली) • बरौनी-सवाई माधोपुर-हाड़ौती-सपोटरा-कुडगांव (सपोटरा)	57 करोड़ रुपये
23	कोटा	• पलायथा से सम्रूर वाया सांगोद-जोलपा (सांगोद) • खैडारूद्धा से चेचट मय उच्च स्तरीय पुल (रामगंजमण्डी) • कोटा-ताथेड-सुल्तानपुर-इटावा-खातौली-श्योपुर सड़क पर सुखनी नदी पर उच्च स्तरीय पुल (पीपल्दा)	103 करोड़ रुपये
24	नागौर	• मौलासर एवं तोषीणा में बाईपास निर्माण कार्य (डीडवाना) • कुचामन-जूसरी-मकराना बाईपास-कालवा-गेढ़ाकलां मियांकला-मिठड़िया-डेगाना (मकराना) • अलाय-मकोड़ी-पिलनवासी-छीला-बुकर्मसोता (नागौर)	43 करोड़ 84 लाख रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
25	पाली	• रूपावास-जैतपुर-गेलावास मजल-करमावास जिला सीमा तक (पाली/सुमेरपुर) • पाली-खैरवा-जैतपुरा चौराया-गुड़ा मोकमसिंह-चतरा-गुड़ा चौराया तक (पाली, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन) • फालना-खिमेल-रानी नाडोल (मारवाड़ जंक्शन/बाली)	101 करोड़ 20 लाख रुपये
26	प्रतापगढ़	• प्रतापगढ़-झासड़ी-अखेपुर-कुलथाना-बिलेसरी मध्य प्रदेश सीमा तक (प्रतापगढ़) • SH-81 से डाबड़ा-मगरोडा-पील्लू-कोलवी मंदीर-भुवासीया (प्रतापगढ़) • प्रतापगढ़-लुहारीया-नकोर-बारवरदा-धोलापानी-धावटा-छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़/बड़ी सादड़ी)	56 करोड़ 50 लाख रुपये
27	राजसमंद	• नाथद्वारा-पाखण्ड वाया कोठारिया (नाथद्वारा) • कडिया-घोडाघाटी (नाथद्वारा) • मादडी-आमेट-देवगढ़-ताल-लसानी (भीम)	49 करोड़ रुपये
28	सवाई माधोपुर	• भाडोती-खिरनी-बौंली-लाखनपुर-मित्रपुरा-बोरदा-दां तवास (बामनवास) • SH-25 से NH-11B वाया ल्हावाद-सोप-खिदरपुर-उदेई खुर्द-छाण-जीवली-रामपुरा-कुडगांव (गंगापुर सिटी) • चकबिलोली से जिला सीमा वाया रघुवंटी सड़क (सवाई माधोपुर)	95 करोड़ रुपये
29	सीकर	• गोरियां-श्यामगढ़ सड़क से भैरूजी मोड़ वाया बगड़ियों की ढाणी-पुरोहित का बास (सीकर) • नीमकाथाना-थोई वाया भूदोली (नीमकाथाना/श्रीमाधोपुर) • पलसाना से सुरेरा वाया गोवटी-अलोदा-	75 करोड़ 50 लाख रुपये

क्र. सं.	जिला	सड़क का नाम	लागत
		धींगपुर-पचार-खाचरियावास-करड़ (दांतारामगढ़)	
30.	सिरोही	• सरूपगंज-कालन्द्री सड़क (सिरोही) • रेवदर-जसवंतपुरा सड़क (रेवदर) • सांचौर-रानीवाड़ा-मण्डार-आबूरोड पर झाबुआ नदी में एवं गामती नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (रेवदर)	35 करोड़ 21 लाख रुपये
31	श्रीगंगानगर	• बीकानेर-श्रीगंगानगर सड़क शहरी क्षेत्र (श्रीगंगानगर) • हनुमानगढ़-पदमपुर सड़क (करणपुर) • श्रीगंगानगर-हिन्दुमलकोट सड़क (सादुलशहर)	38 करोड़ 25 लाख रुपये
32	टोंक	• वनस्थली से जोधपुरिया सड़क (निवाई) • सोप-आमली-अलीगढ़-खोलिया-सुरेली रेलवे स्टेशन सड़क (देवली-उनियारा) • महेन्दवास से अमीनपुरा छान-बाससूर्या सड़क बनास नदी पर वेन्टेड काजवे मय एप्रोच निर्माण (टोंक)	83 करोड़ रुपये
33.	उदयपुर	• झल्लारा-धरियावद-प्रतापगढ़ सड़क (धरियावद) • ऋषभदेव-सराडा-बलुआ-जगत-झामेश्वर उदयपुर (उदयपुर ग्रामीण) • झाडोल-देवास-गोगुन्दा सड़क (झाडोल)	89 करोड़ रुपये

परिशिष्ट-2

पैरा 79 में उल्लिखित निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	निर्माण कार्यों का विवरण	लागत
1	उदयपुर में प्रतापनगर से बलीचा 4 लेन सड़क तथा आयुर्वेद चौराहा से सुभाष सर्किल, सज्जनगढ़ तिराहा, रामपुरा होते हुए सिसारमा-झाडोल एलिवेटेड सड़क	150 करोड़ रुपये
2	अलवर में कम्पनी बाग़ में मन्नी का बड़ के पास बेसमेंट पार्किंग	40 करोड़ रुपये
3	सीकर में फतेहपुर रोड से जयपुर रोड को जोड़ने वाले बाईपास का चौड़ाईकरण	20 करोड़ रुपये
4	श्रीगंगानगर में स्कीम नम्बर 8 में सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट एवं उद्यान विकास संबंधी कार्य	10 करोड़ रुपये
5	आबू-सिरोही में तलेटी तिराहे से आमथला न्यास सीमा तक फोरलेन सड़क	8 करोड़ रुपये
6	राज्य राजमार्ग संख्या-20 पर गोठड़ा कलां-कोटा पर चम्बल नदी पर High Level Bridge का निर्माण	165 करोड़ रुपये
7	छोटी सरवन-बांसवाड़ा में बुन्दन नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	12 करोड़ 50 लाख रुपये
8	कोटा के उम्मेदगंज पक्षी विहार में विकास कार्य	7 करोड़ रुपये
9	बाड़मेर, बारां, हनुमानगढ़ एवं राजसमंद में टाउन हॉल का निर्माण	50 करोड़ रुपये
10	सागवाड़ा-डूंगरपुर में भीखा भाई भील टाउन हाल का निर्माण	20 करोड़ रुपये
11	जोधपुर में विभिन्न विकास व ड्रेनेज, सोजती गेट पर पार्किंग उन्नयन संबंधी कार्य व पावटा चौराहा पर सुगम यातायात के लिए डीपीआर	40 करोड़ रुपये
12	भरतपुर में NH-21 गोपाल नगला मोड से मथुरा बाईपास तक लगभग 13 किलोमीटर लम्बाई में बाईपास एवं कोटा में चम्बल रिवर फ्रंट फेज-द्वितीय हेतु DPR बनायी जायेगी।	2 करोड़ रुपये

परिशिष्ट-3

पैरा 87 में उल्लिखित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	पेयजल परियोजना	लागत
1	परवन पेयजल परियोजना-हाड़ौती संभाग के बारां-अटरू, छबड़ा, किशनगंज, अन्ता-जिला बारां, सांगोद, पीपल्दा-जिला कोटा, खानपुर व मनोहर थाना-जिला झालावाड़	3 हजार 523 करोड़ रुपये
2	नवनेरा बैराज से कोटा-बूंदी एवं बारां की पेयजल परियोजना	1 हजार 661 करोड़ रुपये
3	पार्वती बांध आधारित पेयजल परियोजना-बसेड़ी, सरमथुरा, जिला धौलपुर	87 करोड़ रुपये
4.	चम्बल-धौलपुर-भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट-प्रथम व द्वितीय	3 हजार 106 करोड़ रुपये
5	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण क्लस्टर पार्ट-ब (बाड़मेर-बायतू-सिणधरी), जिला बाड़मेर	155 करोड़ रुपये
6	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना फलौदी हैडवर्क्स-बावड़ीकला-खारा-जालौड़ा, जिला जोधपुर	238 करोड़ रुपये
7	राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आर डी 42 घाटौर-कानासर-बाप (बाप, फलौदी, लोहावट) जिला जोधपुर	92 करोड़ रुपये
8	मलार-जोड़-हिंडाल गोल (बाप, फलौदी) जिला जोधपुर	21 करोड़ रुपये
9	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मंडली, जैतपुर, पुख्तारी (रोहट), जिला पाली	310 करोड़ रुपये
10	नर्मदा एफआर (जालौर, सांचोर) (चितलवाना) (बागौड़ा, आहोर, सायला) जिला जालौर	536 करोड़ रुपये
11	नर्मदा डीआर क्लस्टर (जसवंतपुरा) (रानीवाड़ा) (सांचोर) (सरनऊ) जिला जालौर	261 करोड़ रुपये
12	कोलायत जल प्रदाय योजना (गजनेर लिफ्ट) जिला बीकानेर	82 करोड़ रुपये

क्र.सं.	पेयजल परियोजना	लागत
13	आपणी योजना एवं सरदारशहर संवर्धन पेयजल परियोजना, जिला चूरू एवं हनुमानगढ़	847 करोड़ रुपये
14	गुलण्डी जल प्रदाय परियोजना, जिला झालावाड़	34 करोड़ रुपये
15	कालीखाड जल प्रदाय योजना, जिला झालावाड़	35 करोड़ रुपये
16	पीपलाद पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	9 करोड़ रुपये
17	चम्बल बूंदी क्लस्टर पेयजल परियोजना, जिला बूंदी	29 करोड़ रुपये
18	सिंगोला पेयजल परियोजना, जिला बारां	34 करोड़ रुपये
19	बोरावास मंडाना पेयजल परियोजना, जिला कोटा	88 करोड़ रुपये
20	छापी झालावाड़ झालरापाटन पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	151 करोड़ रुपये
21	जवाई क्लस्टर प्रथम पेयजल परियोजना, जिला पाली	128 करोड़ रुपये
22	बूंगी-राजगढ़ पेयजल परियोजना, जिला चूरू	173 करोड़ रुपये
23	कोलायत जल प्रदाय परियोजना, जिला बीकानेर	75 करोड़ रुपये
24	चम्बल नदी से बेगूं, निम्बाहेड़ा एवं चित्तौड़गढ़ पेयजल परियोजना, जिला चित्तौड़गढ़	2 हजार 245 करोड़ रुपये

परिशिष्ट-4

पैरा 88 में उल्लिखित परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	पेयजल परियोजना	लागत
1	चाकन बांध से इंदरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी	27 करोड़ 26 लाख रुपये
2	जावर चांदीपुर पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	18 करोड़ 7 लाख रुपये
3	पोकरण फलसुंड बालोतरा सिवाना पेयजल परियोजना पैकेज-4बी, जिला बाड़मेर	245 करोड़ 76 लाख रुपये
4.	350 MH और 1439 OH BLWSP चरण-द्वितीय भाग-सी, जिला बाड़मेर	497 करोड़ 41 लाख रुपये
5	नर्मदा आधारित शिव-रामसर पेयजल परियोजना, जिला बाड़मेर	283 करोड़ 34 लाख रुपये
6	तिवड़ी-मथानिया-ओसियां-बावड़ी-भोपालगढ़, पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर	224 करोड़ 65 लाख रुपये
7	माणकलाव-खांगता पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर	84 करोड़ 59 लाख रुपये
8	मोरिया आऊ चाम्पासर 87 MH, 352 OH IGNP पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर	274 करोड़ 34 लाख रुपये
9	जाम्बा घंटियाली बुन्गरी 80 MH, IGNP पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर	224 करोड़ 81 लाख रुपये
10	नर्मदा कैनाल आधारित सिलू जैसला बड़की परियोजना जिला जालौर	74 करोड़ 66 लाख रुपये
11	सुरवानिया बांध से बागीड़ोरा, बांसवाड़ा और तलवाड़ा ब्लाक पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा	130 करोड़ 4 लाख रुपये
12	ब्यावर-जवाजा पेयजल परियोजना, जिला अजमेर	175 करोड़ 82 लाख रुपये

क्र. सं.	पेयजल परियोजना	लागत
13	राजाखेड़ा एवं धौलपुर पेयजल परियोजना, जिला धौलपुर	343 करोड़ 39 लाख रुपये
14	पोकरण फलसुंड पेयजल परियोजना पैकेज-3(अ), जिला जैसलमेर	211 करोड़ 85 लाख रुपये
15	माधवी पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	14 करोड़ 24 लाख रुपये
16	रायपुर-पिड़ावा-चांवली पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	27 करोड़ 33 लाख रुपये
17	छापी विस्तार पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	121 करोड़ 99 लाख रुपये
18	गरड़दा पेयजल परियोजना, जिला बूंदी	238 करोड़ 25 लाख रुपये
19	रामगंजमंडी-पंचपहाड़ पेयजल परियोजना, जिला कोटा	169 करोड़ 51 लाख रुपये
20	माही बांध से बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ की पेयजल परियोजना	430 करोड़ 85 लाख रुपये
21	सोमकमला अम्बा बांध से आसपुर पेयजल परियोजना, जिला डूंगरपुर	104 करोड़ 49 लाख रुपये
22	इंदिरा गांधी नहर पर एस्केप रिजरवायर के निर्माण की परियोजना	1274 करोड़ 26 लाख रुपये
23	माही बांध से कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा	211 करोड़ 60 लाख रुपये
24	देवनिया-नाथरू पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर	330 करोड़ 92 लाख रुपये
25	भिनाय मसूदा वृहद पेयजल परियोजना, जिला अजमेर	425 करोड़ रुपये
26	अराई-किशनगढ़ वृहद पेयजल परियोजना, जिला अजमेर	419 करोड़ 72 लाख रुपये
27	नसीराबाद वृहद पेयजल परियोजना, जिला अजमेर	163 करोड़ रुपये

क्र. सं.	पेयजल परियोजना	लागत
28	चिखली, सीमलवाड़ा एवं झोंतरी की सतही स्रोत माही नदी पेयजल परियोजना, जिला डूंगरपुर	885 करोड़ 56 लाख रुपये
29	आनन्दपुरी एवं गांगडतलाई की सतही स्रोत माही नदी पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा	710 करोड़ 42 लाख रुपये
30	माही बाँध पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा	620 करोड़ 76 लाख रुपये
31	बेणेश्वर एनिकट से साबला एवं सागवाड़ा की पेयजल परियोजना, जिला डूंगरपुर	427 करोड़ 69 लाख रुपये
32	डेगाना भैरूण्डा रिया एवं जायल की पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, सीडीएस-04) जिला नागौर	108 करोड़ 31 लाख रुपये
33	डेगाना भैरूण्डा रिया एवं जायल की पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण सीडीएस-03) जिला नागौर	97 करोड़ 70 लाख रुपये
34	नागौर, खींवसर एवं मूण्डवा की पेयजल परियोजना (नागौर लिफ्ट परियोजना, प्रथम चरण, पैकेज द्वितीय), जिला नागौर	418 करोड़ 37 लाख रुपये
35	बूंदी क्लस्टर जल प्रदाय परियोजना (चम्बल भीलवाड़ा डब्ल्यूएसपी का विस्तार), जिला बूंदी	76 करोड़ 69 लाख रुपये
36	भीमनी पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़	21 करोड़ 66 लाख रुपये

परिशिष्ट-5

पैरा 139 (I) में उल्लिखित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं	लागत
1	अनास नदी पर डांगल ग्राम में एनिकट (बागीदौरा)-बांसवाड़ा	12 करोड़ 17 लाख रुपये
2	घाटकोन ग्राम में सिंचाई परियोजना (खैरवाड़ा)-उदयपुर	9 करोड़ 65 लाख रुपये
3	गामदरा ग्राम में सिंचाई परियोजना (खैरवाड़ा)-उदयपुर	4 करोड़ 57 लाख रुपये
4	बेड़ा का नाका ग्राम में सिंचाई परियोजना (खैरवाड़ा)-उदयपुर	3 करोड़ 27 लाख रुपये
5	पीपल खुटिया ग्राम में सिंचाई परियोजना (घाटोल)-बांसवाड़ा	24 करोड़ 40 लाख रुपये
6	नालपाड़ा ग्राम में सिंचाई परियोजना (घाटोल)-बांसवाड़ा	4 करोड़ 76 लाख रुपये
7	अनास नदी पर ग्राम गोयका पारगिसत में एनिकट पर सिंचाई परियोजना (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा	7 करोड़ 74 लाख रुपये
8	बरवाला MST पर सिंचाई परियोजना-बांसवाड़ा	7 करोड़ 74 लाख रुपये
9	माही नदी पर ग्राम मटिया सिंचाई परियोजना (घाटोल)-बांसवाड़ा	50 करोड़ 64 लाख रुपये
10	माही नदी पर ग्राम सरोदिया सिंचाई परियोजना (घाटोल)-बांसवाड़ा	44 करोड़ 32 लाख रुपये
11	सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना (आसपुर)-डूंगरपुर	26 करोड़ 64 लाख रुपये
12	सोम नदी पर धोलपुरा ग्राम सिंचाई परियोजना (आसपुर)-डूंगरपुर	35 करोड़ 16 लाख रुपये
13	सोम नदी पर भभराना ग्राम सिंचाई परियोजना (आसपुर)-डूंगरपुर	31 करोड़ 45 लाख रुपये

क्र.सं.	सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं	लागत
14	जाखम नदी पर पावटी का बाड़ा सिंचाई परियोजना (धरियावाद)-प्रतापगढ़	15 करोड़ 33 लाख रुपये
15	जाखम नदी पर हकड़ी घाटी खोड़ाबेला ग्राम सिंचाई परियोजना (धरियावद)-प्रतापगढ़	14 करोड़ 79 लाख रुपये
16	करमोही नदी पर ढोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना-प्रतापगढ़	15 करोड़ 50 लाख रुपये
17	भवलिया MIS परियोजना (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़	7 करोड़ 50 लाख रुपये
18	बड़ी मानसरोवर MIS सिंचाई परियोजना (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़	19 करोड़ 50 लाख रुपये
19	बजरिया, भूराव, हसुला और देवेन्द्रा ग्राम सिंचाई परियोजना (सलूम्बर)-उदयपुर	17 करोड़ रुपये
20	नयागांव फारस ग्राम सिंचाई परियोजना-डूंगरपुर	7 करोड़ 74 लाख रुपये
21	बालादित गमेती फाला क्लस्टर परियोजना-डूंगरपुर	13 करोड़ 25 लाख रुपये
22	हंगारीवाला, हांजूडूंगड़ा एवं पीपलदा क्लस्टर परियोजना-डूंगरपुर	18 करोड़ 35 लाख रुपये
23	माण्डवीया, मोदर-1, मोदर-2 और मोदर-3 क्लस्टर परियोजना-डूंगरपुर	16 करोड़ 9 लाख रुपये
24	सियावा ग्राम परियोजना (पिण्डवाड़ा आबू)-सिरोही	3 करोड़ 50 लाख रुपये
25	चन्दलाई बांध परियोजना (चाकसू)-जयपुर	14 करोड़ 20 लाख रुपये
26	टोडपरा एनिकट सिंचाई परियोजना (बाड़ी)-धौलपुर	8 करोड़ रुपये
27	मेज नदी पर गंगाराम माली ग्राम में एनिकट (हिण्डौली)-बूंदी	10 करोड़ रुपये
28	मेज नदी पर सुहरी ग्राम में एनिकट (हिण्डौली)-बूंदी	10 करोड़ रुपये

क्र.सं.	सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं	लागत
29	ब्लाण्डी नदी पर बरवास ग्राम सिंचाई परियोजना (हिण्डौली)-बून्दी	12 करोड़ रुपये
30	बास्याहेड़ी एम.एस.टी. (कांकरिया) सिंचाई परियोजना (सांगोद)-कोटा	4 करोड़ 50 लाख रुपये
31	मेज नदी पर झालीजी का बाराना ग्राम परियोजना (केशवरायपाटन)-बून्दी	12 करोड़ रुपये
32	मेज नदी पर खटकड़ ग्राम परियोजना-बून्दी	20 करोड़ रुपये
33	अमझार नदी पर KHAM-1 (बड़ौदिया आंतरी गांव) परियोजना (रामगंज मण्डी)-कोटा	1 करोड़ 10 लाख रुपये
34	अमझार नदी पर KHAM-3 (खरली बावड़ी गांव) परियोजना (रामगंजमण्डी)-कोटा	1 करोड़ 85 लाख रुपये
35	कालीसिन्ध नदी पर रामड़ी ग्राम परियोजना (झालरापाटन)-झालावाड़	6 करोड़ रुपये
36	आहू नदी पर आहू-I परियोजना (रामगंज मण्डी)-कोटा	16 करोड़ रुपये
37	सिंगोला लिफ्ट परियोजना (अंता)-बारां	15 करोड़ रुपये